18

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति
(2020-2021)

सत्रहवीं लोक सभा

विद्युत मंत्रालय

विद्युत क्षेत्र की कंपनियों को आबंटित कोयला ब्लॉकों का विकास

अट्ठारहवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
अगस्त, 2021 / *श्रावण*, 1943 (*शक*)

अठारहवां प्रतिवेदन

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति
(2020-2021)

(सत्रहवीं लोक सभा)

विद्युत मंत्रालय

विद्युत क्षेत्र की कंपनियों को आबंटित कोयला ब्लॉकों का विकास

5 *अगस्त*, 2021 *को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया ।*
5 *अगस्त*, 2021 *को राज्य सभा के पटल पर रखा गया ।*

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

अगस्त, 2021/*श्रावण*, 1943 (*शक*)

सीओई सं. 335

© 2021 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

विषय-सूची

पृष्ठ

समिति (2020-21) की संरचना iii

प्राक्कथन v

प्रतिवेदन

भाग-एक

एक. प्रस्तावना..... 1

दो. विद्युत क्षेत्र को कोयला ब्लॉकों का आबंटन..... 6

तीन. आबंटित कोयला ब्लॉकों का विकास..... 10

क. एनटीपीसी को आबंटित कोयला ब्लॉक..... 11

ख. डीवीसी को आबंटित कोयला ब्लॉक..... 25

ग. टीएचडीसी को आबंटित कोयला ब्लॉक..... 27

घ. एनएलसी को आबंटित कोयला ब्लॉक..... 29

भाग-दो

समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें..... 31

अनुबंध

एक. समिति की 15 जनवरी, 2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश..... 34

दो. समिति की 04 अगस्त, 2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश..... 37

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की संरचना

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह — **सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती साजदा अहमद
3. श्री गुरजीत सिंह औजला
4. श्री बेल्लाना चंद्रशेखर
5. डॉ. ए. चैल्लाकुमार
6. श्री हरीश द्विवेदी
7. श्री एस. ज्ञानतिरावियम
8. श्री संजय हरिभाऊ जाधव
9. श्री किशन कपूर
10. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
11. श्री अशोक महादेवराव नेते
12. श्री प्रवीन कुमार निषाद
13. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
14. श्री जय प्रकाश
15. श्री दिपसिंह शंकरसिंह राठौड़^
16. श्री उत्तम कुमार रेड्डी
17. श्री एस.सी. उदासी
18. श्री पी. वेलुसामी
19. श्री अखिलेश यादव
20. रिक्त@
21. रिक्त@

राज्य सभा

22. श्री अजीत कुमार भुयान
23. श्री टी.के.एस. एलंगोवन
24. श्री मुजीबुल्ला खान
25. श्री महाराजा संजाओबा लेशंबा
26. श्री जुगलसिंह माथुरजी लोखंडवाला
27. श्री सुरेंद्र सिंह नागर
28. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

29. श्री के.टी.एस. तुलसी
30. रिक्त*
31. रिक्त#

सचिवालय

1. श्री आर.सी. तिवारी	—	**संयुक्त सचिव**
2. श्री आर.के. सूर्यनारायणन	—	**निदेशक**
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा	—	**अपर निदेशक**
4. श्री मनीष कुमार	—	**समिति अधिकारी**

---

^ दिनांक 28.12.2020 से समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट।

@कुमारी शोभा कारान्दलाजे और श्रीमती अनुप्रिया पटेल के केन्द्रीय मंत्री परिषद् में शामिल होने की वजह से 07.07.2021 से रिक्त।

* श्री जावेद अली खान के दिनांक 25.11.2020 को राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त ।

समिति के गठन के समय से रिक्त।

प्राक्कथन

मैं, ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर 'विद्युत क्षेत्र की कंपनियों को आबंटित कोयला ब्लॉकों का विकास' विषय संबंधी अठारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. समिति ने 15 जनवरी, 2021 को विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ विषय पर चर्चा की। समिति मंत्रालय के प्रतिनिधियों का समिति के समक्ष उपस्थित होने और विषय से संबंधित मुद्दों पर वांछित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद करती है।

3. समिति ने 4 अगस्त, 2021 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

4. समिति, इससे संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों की उनके द्वारा दी गई सहायता के लिए सराहना करती है।

5. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियां और सिफारिशें प्रतिवेदन के भाग-दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित की गई हैं।

नई दिल्ली;

4 *अगस्त*, 2021

13 श्रावण ,1943 (*शक*)

राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,

सभापति,

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति ।

प्रतिवेदन

भाग –एक

व्याख्यात्मक विश्लेषण

एक. प्रस्तावना

1.1 विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र में कोयले की आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक नहीं रही है। विद्युत क्षेत्र में दबावग्रस्त/गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियां विषय की जांच के दौरान समिति ने पाया था कि अधिकांश विद्युत परियोजनाओं के दबावग्रस्त होने का एक प्रमुख कारण कोयले की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता का न होना है। सस्ती दर पर कोयले की विश्वसनीय और पर्याप्त आपूर्ति न केवल बिजली संयंत्रों को चलाने के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह देश के हित में भी है क्योंकि इससे सभी को सस्ती बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

1.2 चूंकि कोल इंडिया कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है, इसलिए घाटे को पाटने के लिए विद्युत क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों को कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए। विद्युत क्षेत्र को कुल 65 कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए यथा मध्य क्षेत्र को 16, राज्य क्षेत्र को 42, निजी क्षेत्र को 5 और अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना (यूयूपीपी) को 2 । हालांकि, आवंटन के कई वर्षों के बाद, 65 में से केवल 20 उत्पादन के चरण में पहुंचे हैं। आवंटित कोयला ब्लॉकों के विकास की धीमी गति को देखते हुए समिति ने इस मामले में तेजी लाने के उद्देश्य से इस विषय की जांच की; हालांकि, उन्होंने मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र के केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आवंटित 16 कोयला ब्लॉकों पर अपना ध्यान केंद्रित रखा।

1.3 इस विषय का महत्व इस तथ्य द्वारा आँका जा सकता है कि नवीकरणीय ऊर्जा में उल्लेखनीय वृद्धि और आने वाले वर्षों में इसमें भारी वृद्धि की आयोजना के बावजूद कोयला इस दशक में भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य आधार बना रहेगा । केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में आकलन किया है कि कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन क्षमता के अंतर्गत संस्थापित क्षमता वर्ष 2029-30 तक 2,06,000 मेगावाट की वर्तमान संस्थापित क्षमता से बढ़कर 2,67,000 मेगावाट हो सकती है। इसका अर्थ है कि कम से कम वर्तमान दशक के दौरान विद्युत क्षेत्र के लिए कोयले की आवश्यकता में केवल बढ़ोतरी देखने को मिलेगी । अतः मौजूदा और भावी बिजली संयंत्रों को पर्याप्त कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने का मुद्दा और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

1.4 31.03.2020 तक संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का विवरण निम्न प्रकार से है:

ईंधन का प्रकार	मेगावाट में क्षमता	% मिश्रण
जल विद्युत	45,699.22	12.35
कोयला + लिग्नाइट	2,05,134.5	55.43
गैस	24,955.36	6.74
डीज़ल	509.71	0.14
नाभिकीय	6,780.00	1.83
नवीकरणीय क्षमता	87,027.68	23.51
कुल क्षमता	3,70,106.46	100.00

1.5 वर्ष 2029-30 के लिए इष्टतम उत्पादन क्षमता मिश्रण पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, 2029-30 में संभावित अखिल भारतीय संस्थापित क्षमता निम्न प्रकार से है:

ईंधन का प्रकार	मेगावाट में क्षमता	% मिश्रण
जल विद्युत	71,128	8.70
कोयला + लिग्नाइट	2,66,911	32.66
गैस	25,080	3.07
नाभिकीय	18,980	2.32
नवीकरणीय क्षमता	4,35,155	53.25
कुल क्षमता	8,17,254	100.00

1.6 समिति को बताया गया है कि वर्ष 2029-30 के दौरान कुल संस्थापित क्षमता को पूरा करने के लिए कोयला आधारित और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से योगदान का प्रतिशत क्रमशः 32.66% और 53.25% होगा। वर्ष 2029-30 में गैर-जीवाश्म ईंधन का संभावित योगदान कुल संस्थापित क्षमता का 64.27% है जो पेरिस समझौते के राष्ट्रीय स्तर पर आशयित निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) में निर्दिष्ट 40% के लक्ष्य से काफी अधिक है।

1.7 विद्युत मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2029-30 में विद्युत की अनुमानित मांग को पूरा करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की 4,35,000 मेगावाट क्षमता का उपयोग करने के लिए परंपरागत रूप से 3,82,099 मेगावाट (जल विद्युत+कोयला+लिग्नाइट+गैस+नाभिकीय) क्षमता की आवश्यकता है । इसके अलावा, 27,000 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भण्डारण प्रणाली (4 घण्टे) का भी प्राक्कलन किया गया है।

1.8 भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा परिचालित कोयले और लिग्नाइट के लिए वार्षिक राष्ट्रीय सूची के अनुसार, देश का कुल कोयला संसाधन 344.02 बिलियन टन है। देश में कोयले की खुदाई की वर्तमान दर, जो सालाना लगभग 729 मिलियन टन है, यह रिजर्व 400 से अधिक वर्षों तक चल सकता है । हमारे देश द्वारा विभिन्न वैश्विक मंचों पर बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं और प्रतिबद्धताओं को व्यक्त किए जाने और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केन्द्रित किए जाने के कारण यह स्पष्ट है कि हमारे अधिकांश कोयला भंडारों का संभवतः कभी पूरी तरह से उपयोग न हो । इसलिए कोयला ब्लॉकों का तेजी से विकास और कोयला भंडारों का इष्टतम उपयोग सरकार का उद्देश्य होना चाहिए। हालांकि, यह चिंता का विषय है कि देश में भारी मात्रा में कोयले का भंडार होने के बावजूद हम अत्यधिक मात्रा में कोयले का आयात कर रहे हैं।

1.9 यह देखा गया है कि केवल वर्ष 2019-20 को छोड़कर पिछले दस वर्षों में विद्युत क्षेत्र में कोयले की खपत लगातार बढ़ रही थी, जबकि उससे पूर्व के वर्ष 2018-19 की तुलना में कोयले की खपत कम थी। इसी अवधि के दौरान कोयला आधारित उत्पादन में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई है। तथापि, कोयला आधारित उत्पादन क्षमता वृद्धि वर्ष 2010-11 (93,918.38 मेगावाट) से वर्ष 2020-21 (2,06,124.5 मेगावाट) के दौरान विद्युत के वास्तविक उत्पादन की तुलना में उच्च दर पर रही है जिसके परिणामस्वरूप समग्र पीएलएफ में कमी आई है। इसके साथ–साथ, पीएलएफ उत्पादन स्टेशनों से लाभग्राहियों द्वारा मांगी गई ऊर्जा पर भी निर्भर करता है, जो कि , मौजूदा विद्युत की मांग, हाइड्रो, नाभिकीय और नवीकरणीय स्रोतों इत्यादि जैसे अन्य स्रोतों से विद्युत की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है। वर्तमान में, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित भारतीय विद्युत ग्रिड कोड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (सौर, पवन और लघु जलविद्युत) को "मस्ट रन स्टेटस" प्रदान करता है, इसलिए इसका प्राथमिकता पर प्रेषण होता है और आमतौर पर पूरी तरह से उपयोग किया जाता है। साथ ही जल विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन का आम तौर पर पूरी तरह से उपयोग किया जाता है। कोयला आधारित संयंत्रों का उपयोग विभिन्न अन्य उत्पादन स्रोतों के मेरिट ऑर्डर में उनकी स्थिति और ग्रिड में विद्युत की मांग पर निर्भर करता है।

1.10 पिछले 10 वर्षों अर्थात् वर्ष 2010-11 से वर्ष 2020-21 (दिसंबर, 2020 तक) के दौरान कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र की संस्थापित क्षमता (मेगावाट), उत्पादन (एमयू), पीएलएफ (%) और कोयला खपत (मि. टन) का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	पीएलएफ (%)	कुल उत्पादन (एमयू)	अखिल भारतीय कोयला उत्पादन	कोयले की खपत (मि. टन)
2010-11	93918.38	75.37	535340.29	532.69	386.6
2011-12	112022.38	73.49	584787.30	539.95	417.6
2012-13	130220.88	69.71	659231.43	556.40	454.6
2013-14	145273.39	65.45	713847.07	565.77	489.4
2014-15	164635.88	64.07	800333.88	609.18	530.4
2015-16	185172.88	62.01	862015.25	639.23	545.9
2016-17	192162.88	59.64	910135.81	657.87	574.3
2017-18	197171.50	60.52	951754.51	675.40	608.0
2018-19	200704.50	60.91	987681.83	728.72	628.9
2019-20	205134.50	55.89	961218.23	729.10	622.2
2020-21 (दिस. तक)	206124.50	51.50	673610.93	400.08*	436.9

*नव. 2020 तक

1.11 समिति द्वारा विशेष रूप से पीएलएफ के घटने के कारण के बारे में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए, विद्युत मंत्रालय के सचिव ने समिति को निम्नवत् स्पष्टीकरण दिया:

> "थर्मल पावर प्लांट्स की इंस्टाल्ड कैपेसिटी दस साल में 110 गीगावाट से बढ़कर करीब 200 गीगावाट हो गई, लगभग डबल हो गई, लेकिन कंजम्पशन डबल नहीं हुआ और न ही डिमांड डबल हुई। यही पीएलएफ घटने का कारण है।"

1.12 पिछले 10 वर्षों और वर्तमान वर्ष अर्थात् 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान कोयले की कुल खपत के साथ घरेलू और आयातित कोयले की प्राप्ति निम्नानुसार है:

अखिल भारतीय कोयला प्राप्ति और खपत (आंकड़े मिलियन टन में)				
वर्ष	घरेलू कोयले की प्राप्ति	आयातित कोयले की प्राप्ति	कुल कोयले की प्राप्ति	खपत
1	2	3	4	5
2010-11	358.0	30.5	388.5	386.6
2011-12	365.9	45.2	411.1	417.6
2012-13	398.7	63.2	461.9	454.6
2013-14	415.3	80.0	495.3	489.4
2014-15	450.8	91.2	542.1	530.4

1	2	3	4	5
2015-16	480.9	80.6	561.5	545.9
2016-17	494.8	66.1	560.9	574.3
2017-18	538.6	56.4	595.0	608.0
2018-19	582.1	61.7	643.8	628.9
2019-20	569.5	69.2	638.7	622.2
2020-21 (दिसम्बर तक)	391.0	35.1	426.1	436.9

1.13 एनटीपीसी के ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की प्राप्ति और खपत का विवरण निम्नानुसार हैः

एनटीपीसी में कोयले की प्राप्ति और खपत (आंकड़े मिलियन टन में)				
वर्ष	घरेलू कोयले की प्राप्ति	आयातित कोयले की प्राप्ति	कुल कोयले की प्राप्ति	खपत
2010-11	126.72	10.5	137.22	136.96
2011-12	129.01	12.0	141.02	141.13
2012-13	145.73	9.1	154.83	155.05
2013-14	149.85	10.8	160.65	158.57
2014-15	151.03	16.59	167.62	162.68
2015-16	152.34	9.7	162.04	161.31
2016-17	159.35	1.02	160.37	162.49
2017-18	168.2	0.32	168.52	169.77
2018-19	175.76	1.04	176.8	173.05
2019-20	172.0	2.84	174.84	169.4
2020-21 (अनंतिम, दिसम्बर तक)	124.28	0.75	125.03	125.88

1.14 समिति द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा कोयले के आयात के कारणों के बारे में पूछे जाने मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:

"विगत में, विद्युत यूटिलिटियों को राख की मात्रा 34% से कम कोयले का उपयोग करने और स्वदेशी स्रोतों से कोयले की अपर्याप्त उपलब्धता का संपूरण करने के लिए तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुबंधों को बनाए रखने के लिए कोयला आयात करने की सलाह दी गई थी। इसके अलावा, ईंधन के रूप में अपर्याप्त कोयले के उपयोग के लिए अभिकल्पित विद्युत संयंत्रों के चालू होने के साथ ही विद्युत यूटिलिटियों ने इन विद्युत संयंत्रों के लिए ईंधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयले का आयात किया। घरेलू कोयले की उपलब्धता में वृद्धि के कारण, कोयले का आयात वर्ष 2014-15 में 91.2 मी. टन से घटकर वर्ष 2019-20 के दौरान 69.2 मी. टन रह गया है। वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, विद्युत संयंत्रों द्वारा आयात किए गए कुल कोयले में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 33% की कमी आई है। घरेलू कोयला आधारित संयंत्रों द्वारा आयातित कोयले (मिश्रण के प्रयोजनार्थ कोयले का आयात) में कमी (%) पिछले वर्ष की समान अवधि (अप्रैल, 2019 – दिसंबर, 2019) के दौरान

आयातित कोयले की तुलना में 55.43% कमी आई है और ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर कोयले के आयात में पिछले वर्ष की समान अवधि (अप्रैल, 2019 – दिसंबर, 2019) के दौरान आयात की तुलना में 33.14% कमी आई है। वर्तमान आयात नीति के अनुसार, उपभोक्ताओं द्वारा उनकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए और उनकी वाणिज्यिक व्यवहार कुशलता के आधार पर कोयले का स्वतंत्र रूप से निर्यात (मुक्त सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत) किया जा सकता है।"

1.15 कोयले के आयात से संबंधित मुद्दे को स्पष्ट करते हुए, विद्युत मंत्रालय के सचिव ने समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान बताया कि:

"इम्पोर्ट ऑफ कोल दो कारणों से हो रहा है, एक कारण तो यह है कि कुछ कोल प्लांट्स इंपोर्टेड कोल पर डिजाइन थे, जो कोस्ट पर हैं। वह वर्ष 2013-14 में 42.2 मिलियन टन था और वर्ष 2019-20 में 45.4 मिलियन टन है। यह स्टेबल चलता जा रहा है। तब एमओएफसीसी का एक ऑर्डर था कि आप 34 प्रतिशत से ज्यादा एश नहीं रख सकते हैं, इसलिए उसे ब्लेंड करना पड़ता था। वह नोटिफिकेशन इस साल हटा दिया गया है, इसलिए कोल इम्पोर्ट फॉर ब्लेन्डिंग घट गया है।"

1.16 मंत्रालय द्वारा तुलना करते हुए यह बताया गया कि आयातित कोयले की तुलना में भारतीय कोयले में राख की मात्रा अधिक होती है और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। यही नहीं, 10% से कम राख की मात्रा वाले आयातित कोयले की तुलना में भारतीय कोयले में राख की औसत मात्रा 40% से अधिक होती है।

1.17 जब समिति ने यह जानना चाहा कि क्या हम विद्युत क्षेत्र की मांग की पूर्ति हेतु कोयले के मामले में आत्मनिर्भर हैं, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:

"घरेलू कोयले की बढ़ती हुई उपलब्धता के कारण, कोयले की आवश्यकता को केवल घरेलू कोयले से पूरा किया जा सकता है। वर्ष 2020-21 के दौरान, 645 मी. टन की घरेलू कोयले की आवश्यकता की तुलना में, अनुमानित उपलब्धता लगभग 644 मी. टन थी। राष्ट्रीय विद्युत योजना, 2018 के अनुसार वर्ष 2021-22 और वर्ष 2026-27 के दौरान घरेलू कोयले की आवश्यकता क्रमशः लगभग 685 मी. टन और 827 मी. टन है और इसे घरेलू कोयले से पूरा किए जाने की आशा है क्योंकि वर्ष 2023-24 के दौरान सीआईएल का उत्पादन लक्ष्य 1000 मिलियन टन है। "

दो. विद्युत क्षेत्र को कोयला ब्लॉकों का आबंटन

2.1 विद्युत क्षेत्र को आबंटित कोयला ब्लॉकों का ब्यौरा इस प्रकार है:

अधिनियम	निजी क्षेत्र	केंद्रीय क्षेत्र	राज्य सरकार	यूएमपीपी	कुल
सीएमएसपी एक्ट, 2015	5	12	34	-	51
एमएमडीआर एक्ट, 1957	-	3	8	-	11
सीएमएन एक्ट,1973	-	1	-	2	3
कुल	5	16	42	2	65

2.2 विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत कोयला ब्लॉकों के आबंटन के कारण निम्नवत् हैं:

एक. खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम)

अधिनियम पूर्वेक्षण और खनन संक्रियाओं का उपक्रम करने पर साधारण निर्बन्धन, उस भूमि के बारे में जिसके खनिज सरकार में निहित हैं, सर्वेक्षण अनुज्ञप्तियां या खनन पट्टे अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों और खनन पट्टों का अनुदान विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति, कतिपय मामलों में पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं का उपक्रम करने की केन्द्रीय सरकार की विशेष शक्तियों और खनिजों के विकास के लिए प्रावधान करता है। यह अधिनियम भारत में संपूर्ण खनन क्षेत्र को विनियमित करता है और खनन संक्रियाओं के लिए खनन पट्टे प्राप्त करने एवं उन्हें प्रदान करने की आवश्यकता विनिर्दिष्ट करता है । वर्तमान में, अनुसूची I अथवा कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (सीएमएससी अधिनियम) के अंतर्गत 204 कोयला खदानों के अलावा विद्युत क्षेत्र की कंपनियों को सभी कोयला ब्लॉक एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 11 और कोयला ब्लॉक आबंटन नियम, 2017 के नियम 6(10) एवं नियम 7 के अंतर्गत आबंटित किए जाते हैं। सीएमएन अधिनियम, 1973 के निरसन के बाद, वर्तमान में 204 अनुसूची-I ब्लॉकों के अलावा नए ब्लॉकों के आबंटन के लिए एमएमडीआर एकमात्र अधिनियम है। आज की स्थिति के अनुसार, एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र को 11 कोयला ब्लॉक आबंटित किए गए हैं।

दो. कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973

इसमें अधिनियम को परिभाषित किया गया है कि "अनुसूची में विनिर्दिष्टि कोयला खानों को इस प्रकार पुनर्गठित और पुनर्निर्मित करने की दृष्टि से, कि कोयले के साधनों का सुव्यवस्थित और समन्वित एवं वैज्ञानिक विकास और देश की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप कोयले के उन साधनों का उपयोग इस हेतु सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण राज्य में निहित हो जाए और फलत: उनका ऐसा वितरण हो कि जनता का अधिक से अधिक हित हो, उन कोयला खानों की बाबत स्वामियों के अधिकार, हक और हित का अर्जन और अन्तरण करने और उससे सम्बद्ध या अनुषंगी मामलों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।"

माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय 2014

माननीय उच्चतम न्यायालय 2014 ने दिनांक 25.08.2014 के अपने निर्णय के द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा 1993-2010 की अवधि के दौरान आबंटित किए गए कोयला ब्लॉकों को अवैध एवं असंवैधानिक रूप में निरस्त कर दिया। सीएमएन अधिनियम, 1973 के अंतर्गत 218 कोयला ब्लॉक आबंटित किए गए थे जिनमें से 204 अन्य बातों के साथ निम्नलिखित आधारों पर निरस्त कर दिए गए।

क. खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया का गैर-अनुपालन।

ख. कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3(3)(क)(iii) का उल्लंघन।

इसलिए, आज की स्थिति के अनुसार, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अंतर्गत तीन कोयला खाने ही आबंटित हैं। अब इस अधिनियम का निरसन कर दिया गया है।

तीन. कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2014 में 204 कोयला ब्लॉकों के आबंटन के रद्द किए जाने से कोयला क्षेत्र में कुछ सुधार करने के लिए सरकार को एक अवसर मिला । सरकार ने ब्लॉकों के रद्द किए जाने के बाद तुरंत कार्रवाई की और विद्युत क्षेत्र को विनिर्दिष्टि अंत-उपयोगों के लिए रद्द किए गए कोयला ब्लॉकों के आबंटन को समर्थ बनाने के लिए कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 अधिसूचित किया। इसके आधार पर, इसने अक्तूबर, 2015 तक कोयला ब्लॉकों की नीलामी के तीन चक्र और ब्लॉक आबंटन का एक चक्र आयोजित किया।

सीएमएसपी अधिनियम ऐसी खानों को, जिनका आबंटन रद्द कर दिया गया था, तीन अनुसूचियों में वर्गीकृत करता है। अनुसूची I में वे सभी 204 ब्लॉक शामिल हैं जिनका आबंटन रद्द कर दिया गया था। अनुसूची II एवं III अनुसूची I का उप वर्ग है जिनके लिए अंत-उपयोग विनिर्दिष्ट किया गया है।

आज तक की स्थिति के अनुसार, सीएमएसपी अधिनियम, 2015 के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र को नीलामी के माध्यम से 6 और आबंटन रीति से 45 खदानों सहित 51 कोयला खदानें आबंटित की गई हैं।

2.3 विद्युत मंत्रालय और कोयला मंत्रालय में कोयला ब्लॉकों के विकास के निगरानी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की गई:

"कोयला मंत्रालय ने सूचित किया है कि नामित प्राधिकरण द्वारा अपनाया गया निगरानी तंत्र निम्नानुसार हैः

क. नामित प्राधिकारी द्वारा बैठकें: कोयला खदानों के प्रचालन में तेजी लाने के लिए, नामित प्राधिकारी नियमित अंतराल पर सफल बोलीदाताओं/आबंटियों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित करता है।

ख. सचिव (कोयला) द्वारा समीक्षा बैठकें: सचिव (कोयला), आबंटित ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए मेजबान राज्यों के मुख्य सचिवों और अन्य संबंधित अधिकारियों तथा सफल बोलीदाताओं/आबंटियों के साथ बैठकें आयोजित करते हैं। यदि आवश्यक हो, पणधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया जाता है। सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन किया गया है जिसमें संबंधित मेजबान राज्यों के मुख्य सचिव, सचिव (एमओईएफ एंड सीसी), कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) और केन्द्रीय खदान योजना तथा डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) समिति के सदस्य हैं।

ग. संवीक्षा समितिः लक्ष्यों को प्राप्त ना किए जाने पर/कोयला खदान विकास एवं उत्पादन करार (सीएमडीपीए)/आबंटन करार से विचलन के लिए कारण बताओ नोटिस संबंधी निवेदनों /उत्तरों की मामला-दर-मामला आधार पर जांच करने के लिए एक संवीक्षा समिति गठित की गई है। अभी तक संवीक्षा समिति की 8 बैठकें आयोजित की गई हैं।"

2. कोयला ब्लॉकों के विकास की निगरानी करने के लिए, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में सभी आबंटियों के संबंधित कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों की अद्यतन स्थिति के साथ उनको आमंत्रित करते हुए समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

3. इसके अलावा, एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के अंतर्गत आबंटित कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों के विकास की समीक्षा से संबंधित कार्य भी 16.01.2020 को संवीक्षा समिति को सौंप दिया गया है जिसका गठन नामित प्राधिकरण का कार्यालय, कोयला मंत्रालय के दिनांक 07.10.2019 के का.ज्ञा. के माध्यम से किया गया था।

4. विद्युत मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसईज) अर्थात् एनटीपीसी, दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को आबंटित खदानों की समीक्षा सचिव (विद्युत) द्वारा की जाने वाली तिमाही निष्पादन समीक्षा बैठकों (क्यूपीआर) में की जाती है और 15.03.2019, 07.10.2020, 27.11.2020 और

17.12.2020 को विद्युत क्षेत्र को आबंटित कोयला ब्लॉकों के विकास की समीक्षा करने के लिए विद्युत मंत्रालय में आगे की समीक्षा बैठकें भी आयोजित की गई थीं। कोयला ब्लॉकों के विकास के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा भी वार्षिक रूप से समीक्षा बैठकें की जाती हैं।

2.4 समिति द्वारा पूछे जाने पर, मंत्रालय द्वारा कोयला ब्लॉकों के विकास में विलंब के लिए उत्तरदायी निम्नलिखित कारणों के बारे में बताया गया:

"आवंटित कोयला ब्लॉकों के विकास में विलंब के मुख्य कारण भूमि अर्जन/पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के मुद्दे और राज्य/केन्द्रीय प्राधिकरणों से सांविधिक मंजूरियां प्राप्त करने में विलंब हैं। कोयला ब्लॉकों के विकास में विलंब के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारण निम्नानुसार हैं:

1. रोजगार, मुआवजा आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर स्थानीय लोगों द्वारा पैदा की गई प्रतिकूल कानून एवं व्यवस्था समस्याओं के कारण।
2. वासभूमि के बेदखलों (एचएसओज) का पुनर्स्थापन/पुनर्व्यवस्थापन/स्थानांतरण।
3. सरकारी एवं वन भूमि से अतिक्रमणकारियों को निकालना।
4. भू अभिलेख- अनुपलब्धता/बहुत पुराना एवं अद्यतन नहीं किया गया । खदान क्षेत्र गैर-सर्वेक्षित था और यह न तो राजस्व और न ही वन विभाग के अभिलेखों में था।
5. पूर्व आबंटी द्वारा भूमि और आरएंडआर ब्यौरों के अंतरण तथा ठेकेदारों/सेवा प्रदाताओं की पुरानी देयताओं का निपटान न किए जाने में निहित समस्याएं। कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी), रेलवे साइडिंग आदि जैसी स्थल परिसंपत्तियों को सौंपने में विलंब।
6. उच्च भूमि दरों के कारण भूमि अर्जन में विलंब।
7. कोयला धारित क्षेत्रों में मौजूदा पारेषण लाइनों की पुनर्स्थापना और मौजूदा नालों/छोटी नदियों आदि के विपथन में विलंब।
8. पूर्व आबंटी से ईसी/एफसी के अंतरण में विलंब।
9. पर्यावरण मंजूरी, वन मंजूरी आदि जैसी सांविधिक मंजूरियों में औसतन 4/5 वर्ष का समय लगता है।
10. खदानों से जल निकासी की अनुमति, भूजल मंजूरी आदि जैसे पर्यावरण मंजूरी के मुद्दे आदि ।
11. स्थानीय राजनेताओं की अगुवाई में ग्रामीणों का प्रतिरोध/बार-बार बाधाएं-उस क्षेत्र में सभी संरचनात्मक परियोजनाओं, विस्तृत अन्वेषण कार्यों, सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण आदि का विरोध।
12. माओवादी प्रभुत्व क्षेत्र- परियोजना परिसरों के भीतर एवं बाहर वाहन जलाने, गोलाबारी की घटनाएं/अधिकारियों को धमकी भरे पत्र/कॉल मिलते हैं।
13. स्थानीय समस्याओं के कारण ड्रिलिंग नहीं की जा सकी जिसके कारण अन्वेषण कार्य नहीं किया जा सका।
14. कोयला ब्लॉकों के विकास में प्रतिपूरक वनरोपण (सीए), निजी भूमि के लिए मुआवजे का संवितरण, अधिभार का क्षेपण (*ओवर बर्डन डम्पिंग*), भूमि के दाखिल-खारिज आदि के मुद्दे। विकासकर्ताओं के पास आवश्यकतानुसार पर्याप्त सीए भूमि नहीं होती है। निजी भूमि के लिए मुआवजे के संवितरण की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। विकासकर्ताओं के पास अधिभार क्षेपण (*ओवर बर्डन डम्पिंग*) के लिए भूमि का अभाव होता है।
15. एमडीओ की नियुक्ति में कानूनी अड़चनें।"

2.5 सांविधिक मंजूरी मिलने में अत्यधिक विलंब के संबंध में, विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष इस मुद्दे पर विस्तार से बताया:

"एक और मुद्दा जो कोयला ब्लॉकों के विकास को विलंबित करता है वह है- पर्यावरण मंजूरी (ईसी)और वन मंजूरी (एफसी)प्राप्त करना । हमने 65 कोयला ब्लॉकों का विस्तृत विवरण दिया है, जिनमें से 20 में पहले ही उत्पादन शुरू

हो चुका है, 9 को पहले ही ईसी और एफसी मिल चुके हैं जिनमें अगले साल तक उत्पादन शुरू होने की संभावना है, लेकिन 11 कोयला ब्लॉकों में उन्हें पर्यावरण मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन वन मंजूरी अभी लंबित है और 25 ब्लॉक ऐसे हैं जहां न तो ईसी और न ही एफसी प्रदान किए गए हैं। हमने इस मामले को पर्यावरण और वन मंत्रालय के समक्ष उठाया है; उन्होंने हाल ही में "परिवेश" पोर्टल नामक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम की शुरुआत की है जिसमें कि वे जिला स्तर पर या केंद्रीय एजेंसी के स्तर पर देरी का पता लगाने में सक्षम होंगे।"

तीन. आवंटित कोयला ब्लॉकों का विकास

3.1 केन्द्रीय क्षेत्र को कुल 16 कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं जिसका भूगर्भीय भंडार (जीआर) प्रति वर्ष 9028 मिलियन टन (एमटी) और पीक रेटेड कैपेसिटी (पीआरसी) 152 मिलियन टन (एमटीपीए) है। पीएसयू-वार विवरण निम्नवत् है:

केन्द्रीय क्षेत्र के पीएसयू	एनटीपीसी	डीवीसी	टीएचडीसी	एनएलसी
कोयला ब्लॉकों की संख्या	10	02	01	03
कोयला ब्लॉकों का नाम	1. पकरी-बरवाडीह, 2. चट्टी-बरियातु 3. चट्टी-बरियातु (दक्षिण), 4. केरांदरी 5.तलाईपल्ली, 6. बनई, 7. भालुमुडा, 8. मंदाकिनी-बी, 9. बदम, 10. बनहरडीह	1. खागरा जॉयदेव 2. तुबैद	1. अमेलिया	1. तालाबीरा-II 2. तालाबीरा-III 3. पचवाड़ा-दक्षिण

3.2 केन्द्रीय क्षेत्र को आवंटित कोयला ब्लॉकों की स्थिति निम्नवत् है:

कुल कोयला ब्लॉक	उत्पादनरत	पर्यावरण संबंधी स्वीकृति और वन संबंधी स्वीकृति दोनों मिल गई हैं लेकिन उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ है	केवल पर्यावरण संबंधी स्वीकृति मिली है और वन संबंधी स्वीकृति लंबित है	न ही पर्यावरण संबंधी स्वीकृति मिली है और न ही वन संबंधी स्वीकृति मिली है
16	5	3	3	5
	1. पकरी-बरवाडीह / झारखंड / एनटीपीसी 2. तलाईपल्ली / छत्तीसगढ़ / एनटीपीसी 3. दुलंगा / ओडिशा / एनटीपीसी 4. तालाबीरा II/ ओडिशा/ एनएलसी 5. तालाबीरा III /ओडिशा / एनएलसी	1. केरांदरी / झारखंड – एनटीपीसी 2. चट्टी-बरियातु, चट्टी-बरियातु दक्षिण / झारखंड – एनटीपीसी 3. खागरा जॉयदेव / पश्चिम बंगाल -डीवीसी	1. बदम / झारखंड - एनटीपीसी 2. अमेलिया /मध्य प्रदेश (टीएचडीसी) 3. तुबैद / झारखंड - डीवीसी	1. बनहरडीह / झारखंड - एनटीपीसी 2. मंदाकिनी-बी/ ओडिशा- एनटीपीसी 3. बनई/ छत्तीसगढ़ -एनटीपीसी 4. भालुमुडा / छत्तीसगढ़ - एनटीपीसी 5. पचवाड़ा-दक्षिण - एनएलसी

3.3 केन्द्रीय क्षेत्र को आवंटित कोयला ब्लॉकों के संबंध में कोयला के वास्तविक उत्पादन की तुलना में उत्पादन के लक्ष्य का ब्यौरा इस प्रकार है-

(एमटीपीए)

पीआसी	जीआर	2019-20		2020-21		2021-22	2022-23	2023-24
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य
152	9028	10.4	11.15	16.93	7.76	23	43.65	70.18

3.4 केन्द्रीय क्षेत्र को आवंटित उन कोयला ब्लॉकों का ब्यौरा निम्नवत् है जिनसे कोयले का उत्पादन करने की अपेक्षा की जाती है:

	2021-22 में	2022-23 में	2023-24 में
केन्द्रीय क्षेत्र	1. चट्टी-बरियातु, चट्टी-बरियातु दक्षिण–एनटीपीसी 2. तुबैद - डीवीसी	1. बनहरडीह -एनटीपीसी 2. बदम-एनटीपीसी 3. खागरा जॉयदेव -डीवीसी 4. केरांदरी-एनटीपीसी	1. पचवाड़ा-दक्षिण एनएलसी 2. अमेलिया - टीएचडीसी

क. एनटीपीसी को आवंटित कोयला ब्लॉक

3.5 एनटीपीसी को 10 कोल ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। समिति को बताया गया है कि एनटीपीसी की इन खानों से प्रतिवर्ष लगभग 103 मिलियन टन कोयला उत्पादन करने की योजना है, जब सभी खदानें पीक रेटेड कैपेसिटी तक पहुंच जाएंगी।

3.6 एनटीपीसी को आवंटित कोयला ब्लॉकों के विकास की वर्तमान स्थिति और सामने आ रही समस्याओं का विवरण विद्युत मंत्रालय ने निम्नानुसार दिया:–

1. पकरी बरवाडीह कोयला ब्लॉक

(क) आवंटनः एनटीपीसी लिमिटेड (जांच समिति द्वारा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया गया था)

(ख) स्थानः झारखण्ड

(ग) अधिनियमः कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 (सीएमएन अधिनियम, 1973)

(घ) आवंटन की तिथि: 11.04.2016

(ङ) उत्पादन की समय-सूचीः कोयला उत्पादन दिसम्बर, 2016 को शुरू हुआ।

(च) भूगर्भीय भंडार (जीआर)/निष्कर्षण योग्य भंडार (ईआर) (मिलियन टन में) और खनन योजना (एमटीपीए में): जीआर=1574 एमटी, ईआर=642 एमटी, व्यस्ततम निर्धारित क्षमता (पीआरसी)=18 एमटीपीए (पकरी-बरवाडीह एनडब्ल्यू) ग्रेड-जी-9 से जी-10

(छ) एंड यूज़ प्लांट (ईयूपी): खरगोन एसटीपीपी (2x660) मेगावाट, यू#1&2, विंध्याचल V-500 मेगावाट), तालचेर टीपीएस विस्तार, ओडिशा (1x660 मेगावाट) - प्रस्तावित

(ज) यूनिटों को चालू करने की समय-सूचीः खरगोन एसटीपीपी (2x660) मेगावाट, यू#1-29.09.2019 को आरम्भ हुई, यू#2 24.03.2020 को आरम्भ हुई, विंध्याचल V- 500 मेगावाट (आरम्भ होने की तिथि-06.08.2015) तालचेर टीपीएस विस्तार, ओडिशा (1x660 मेगावाट)-प्रस्तावित

(झ) वर्तमान स्थितिः

1. कोयला उत्पादन दिसम्बर, 2016 को शुरू किया गया था और अनुमोदित खनन योजना के अनुसार 12वें वर्ष तक व्यस्ततम निर्धारित क्षमता प्राप्त करेगी।
2. खनन योजना दिनांक 07.03.2016 को अनुमोदित की गई।
3. चरण-I और II एफसी को क्रमशः 11.05.2010 और 17.09.2010 को मंजूरी प्रदान की गई । पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) को मंजूरी प्रदान करना- 19.05.2009। एमओईएफएंडसीसी द्वारा जारी पर्यावरण मंजूरी में 29.06.2016 को संशोधन किया गया।
4. इसके अतिरिक्त, कन्वेयर सिस्टम के स्थान पर, 2 वर्ष के लिए कोयला के लिए सड़क परिवहन मार्ग हेतु दिनांक 14.08.2018 को संशोधन जारी किया था।
5. खनन पट्टा प्रदान करना लागू नहीं है क्योंकि कोयला आधारित क्षेत्रों (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (सीबीए अधिनियम, 1957) के अंतर्गत खनन क्षेत्र की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।
6. भूमि का अधिग्रहण पूरा कर लिया गया है।
7. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने पकरी बरवाडीह उत्तर खदान से खनन की अनुमति दी है जो वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अपना उत्पादन बढ़ाएगी।
8. वित्तीय वर्ष 2020-21 से दिसम्बर, 2020 तक कोयला उत्पादन: 4.77 एमएमटी; शुरूआत से संचयी उत्पादनः 23.9 एमएमटी।

(ञ) अति महत्वपूर्ण मुद्देः

1. भूमि प्रतिकर, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम 2013, भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी को रोजगार के साथ-साथ भूमि प्रतिकर तथा पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन (आरएंडआर) लाभों की मांग करते हुए ग्रामवासियों ने 02.09.2020 से खनन कार्य, कोयला परिवहन और अवसंरचना विकास कार्यकलापों को बंद करवा दिया है। इन आंदोलनकारी ग्रामवासियों ने जुलाई, 2020 को 17 दिनों (07.07.2020 से 23.07.2020 तक) के लिए खनन और कोयला परिवहन भी बंद कर दिया था। जिला प्रशासन द्वारा पुलिस कर्मियों को तैनात करने से दिनांक 07.10.2020 से कोयला परिवहन पुनः आरंभ हुआ। खनन कार्य दिनांक 18.11.2020 को फिर से शुरू हुआ।
2. कानून-व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार से निरंतर सहयोग का अनुरोध किया गया है।
3. सीबीए अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित ओवरबर्डन डंप (ओबी डंप) और खनन के विस्तार के लिए प्राथमिक भूमि पर अधिकार प्राप्त करना।
4. शेष 5 प्राथमिक गांवों (इतीज, दादीकाला, उरूब, नगरी-बरवाडीह और उपारीदादी) से गृहस्थ विस्थापितों का हस्तांतरण ।
5. सरकारी तथा वन भूमि से अतिक्रमणकारियों का निष्कासन–बरखागांव ब्लॉक, हजारीबाग के खनन क्षेत्र में खनन विकासकर्ता और संचालन (एमडीओ)–कोयला हैंडलिंग संयंत्र (सीएचपी) कोरिडोर के साथ

विभिन्न अनधिकृत अवसंरचनाओं का निर्माण। एमडीओ-सीएचपी कोरिडोर (जुगड़ा और चेपकला गांव) और खनन क्षेत्र (नगरी गांव) में।

6. भूमि अधिग्रहण अधिनियम (एलए अधिनियम) के अंतर्गत अधिग्रहित की जा रही भूमि के भुगतान के संवितरण हेतु जिला प्रशासन से आवश्यक त्वरित कार्रवाई और समर्थन।

(ट) विलंब के कारणः

- प्रतिकूल कानून व्यवस्था की स्थिति।
- जीएम (सरकारी) और वन भूमि में अतिक्रमण के मुद्दे। गृहस्थ विस्थापितों का पुनर्वास और भूमि की कीमत से संबंधित मुद्दे।
- पहले मैसर्स थीस्स माइनेक्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडीओ संविदा प्रदान की गई थी। एमडीओ के गैर-कार्य-निष्पादन से दिनांक 07.05.2014 को संविदा रद्द कर दी गई। नयी एमडीओ संविदा सितम्बर, 2015 को प्रदान की गई।
- खनन कार्य और अन्य अवसंरचना विकास कार्यकलाप शुरू करने के लिए ग्रामीणों तथा स्थानीय एमएलए द्वारा बाधा।

(ठ) की-गई-कार्रवाई:

- भूमि मुद्दों और कानून व्यवस्था की समस्याओं के संबंध में जिला प्रशासन और राज्य के प्राधिकारियों से संपर्क किया गया।
- विभिन्न सांविधिक मंजूरियों में तेजी से कार्रवाई करने के संबंध में एमओसी/एमओईएफ एंड सीसी/एमओएल एंड ई/डीजीएमएस के समक्ष मामले को उठाया गया।
- बेहतर उत्पादनकर्ता के लिए हेवी अर्थ मूविंग मशीनरीज़ (एचईएमएम) की शुरुआत की गई है और अब तक लगभग 24.3 एमएमटी कोयले का उत्पादन किया गया है।

2. दुलंगा कोयला ब्लॉक

(क) आवंटन: एनटीपीसी लिमिटेड

(ख) स्थान: ओडिशा

(ग) अधिनियम: कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (सीएमएसपी अधिनियम, 2015)

(घ) आवंटन की तिथि: 08.09.2015 [कोयला मंत्रालय (एमओसी) द्वारा पुन: आवंटन]

(ङ) उत्पादन की समय-सूची: कोयला उत्पादन 21.03.2018 से शुरू हुआ।

(च) भूगर्भीय भंडार (जीआर)/निष्कर्षण योग्य भंडार (ईआर) (मिलियन टन में) और खनन योजना (एमटीपीए में): जीआर = 196 एमटी, पीआरसी - 7 एमटीपीए, जीवनकाल - 26 वर्ष, ग्रेड-जी -12 से जी-13 तक

(छ) अंतिम उपयोगकर्ता संयंत्र (एंड यूज़ प्लांट): दारलीपल्ली चरण-I, ओडिशा (2x800 मेगावाट)

(ज) यूनिटों को आरम्भ करने की समय–सूची: यूनिट1: दिसंबर, 19 में चालू। यूनिट 2: 2020-21 में आरम्भ होने की संभावना।

(झ) वर्तमान स्थिति:

1. कोयला उत्पादन 21.03.2018 से शुरू हुआ।
2. संभावित लाइसेंस अपेक्षित नहीं है क्योंकि विश्लेषण दिनांक 08.09.15 पर ब्लॉक का गवेषण किया गया था ।

3. खनन योजना 14.08.2012 को अनुमोदित।

4. वन मंजूरियां, चरण-I और चरण-II दोनों 23.12.2015 को प्रदान की गई।

5. पर्यावरण मंजूरी (ईसी) 19.04.10 को प्रदान की गई। 03.03.14 को ईसी का पुनर्वैधीकरण किया गया। दुलंगा सीएमपी (कोयला खनन परियोजना) से एसीबी [एसीबी (इंडिया) लिमिटेड] रेलवे साइडिंग तक सड़क मार्ग से कोयले के परिवहन के लिए 07.01.2020 को प्राप्त पर्यावरण मंजूरी में संशोधन किया गया।

6. खनन पट्टा प्रदान करना – अपेक्षित नहीं है क्योंकि पट्टा क्षेत्र को सीबीए अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित किया गया है।

7. 09.02.2017 को एमडीओ प्रदान किया गया।

8. कोयला नियंत्रक से दिनांक 28.02.2018 को खदान खोलने की अनुमति प्रदान की गई।

9. वर्तमान में कोयले का परिवहन सड़क मार्ग से किया जा रहा है। सड़क की स्थिति को सुदृढ़ करने की जरूरत है। एनटीपीसी मेरी-गो-राउंड (एमजीआर) प्रणाली के निर्माण में तेजी लाएगा। वित्त वर्ष 2020-21 में दिसंबर, 2020 तक कोयला उत्पादन: 1.87 एमएमटी; शुरूआत से संचयी उत्पादन: 3.91 एमएमटी।

(ञ) अति महत्वपूर्ण मुद्दे:

1. कोविड-19 महामारी के कारण कोयला उत्पादन और ओबी हटाने की गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं।

2. खनन कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु, ओबी हटाने और कोयला उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए खपरिकाछार के ग्रामीणों (ओवरबर्डन डंप क्षेत्र के लिए) का हस्तांतरण तत्काल किया जाना चाहिए।

(ट) की-गई -कार्रवाई:

- विभिन्न सांविधिक मंजूरियों में तेजी से कार्रवाई करने के संबंध में एमओसी/एमओईएफ एंड सीसी/एमओएलएंडई/डीजीएमएस के समक्ष मामले को उठाया गया।

- 09.02.2017 को दुलंगा कोयला ब्लॉक के लिए एमडीओ (मैसर्स सैनिक माइनिंग एंड एलाइड सर्विसेज लिमिटेड) को नियुक्त किया गया था।

3. तलाईपल्ली कोयला ब्लॉक

(क) आवंटन: एनटीपीसी लिमिटेड

(ख) स्थान: छत्तीसगढ़

(ग) अधिनियम: सीएमएसपी अधिनियम, 2015

(घ) आवंटन की तिथि: 08.09.2015 [कोयला मंत्रालय (एमओसी) द्वारा पुन: आवंटन]

(ङ) उत्पादन की समय -सूची: खनन कार्य 15.10.2019 से शुरू हुआ।

(च) भूगर्भीय भंडार (जीआर)/निष्कर्षण योग्य भंडार (ईआर) (मिलियन टन में) और खनन योजना (एमटीपीए में): जीआर = 1260 एमटी, ईआर - 861 एमटी, पीआरसी - 18 एमटीपीए, ग्रेड- जी-11 से जी-13 तक

(छ) एंड यूज़ प्लांट: लारा एसटीपीपी 4000 मेगावाट (5x800 मेगावाट)

(ज) यूनिटों को आरम्भ करने की समय–सूची : यूनिट-1: 09.09.2017 (आरम्भ)। यूनिट 2: 2020-21 में आरम्भ होने की संभावना।

(झ) वर्तमान स्थिति:

1. संभावित लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विश्लेषण तारीख 08.09.15 को ब्लॉक का दोहन किया गया था।
2. 31.3.2010 को खनन योजना अनुमोदित की गई।
3. वन मंजूरी (एफ़सी), चरण-I और चरण-II 29.01.2014 को प्रदान की गई। एमओईएफ एंड सीसी द्वारा 23.05.2017 को एफसी चरण-II का पुनर्वैधीकरण किया गया।
4. पर्यावरण मंजूरी (ईसी) 02.01.13 को प्रदान की गई। ईसी को 13.11.15 को पुन:वैधीकृत किया गया। तलाईपल्ली सीएमपी से लारा एसटीपीपी तक सड़क मार्ग से कोयले के परिवहन के लिए 06.11.2019 को एमओईएफ एंड सीसी से प्राप्त ईसी में संशोधन किया गया।
5. भूमि मुआवज़े का वितरण चल रहा है। धारा 11 के तहत अधिसूचना पूरी हो गई है।
6. खनन पट्टा प्रदान करना – अपेक्षित नहीं है क्योंकि पट्टा क्षेत्र सीबीए अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित किया गया है।
7. एमडीओ जिसे 13.11.2017 को अवार्ड किया गया था, संविदात्मक मुद्दों के कारण 04.07.2019 को समाप्त कर दिया गया।
8. 31.01.2018 को कोयला नियंत्रक से खान खोलने के लिए मंजूरी प्राप्त हुई।
9. एमडीओ की नियुक्ति के लिए 19.08.2019 को नई निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी की गई। 12.02.20 को मूल्य निकालने के लिए रिवर्स ई-नीलामी पूरी की गई। दिनांक 09.06.2020 को आयोजित बोर्ड की बैठक में अवार्ड किया जाना अनुमोदित हुआ। बोली विजेता ने कोविड परिस्थिति के कारण अवार्ड किया जाना स्थगित करने का अनुरोध किया है। तलाईपल्ली (मुख्य पिट) के लिए एमडीओ संविदा 26.08.2020 को अवार्ड की गई। एजेंसी ने कार्य स्थल पर संसाधन जुटाना शुरू कर दिया है। खनन पूर्व गतिविधियाँ जैसे पेड़ों की कटाई, इन-फिल ड्रिलिंग, भौगोलिक स्थिति का सर्वेक्षण आदि प्रगति पर हैं।
10. साउथ पिट के लिए 30.03.2019 को सीमा खोलने की अनुमति दी गई।
11. 19.06.19 को दो वर्ष के लिए तलाईपल्ली साउथ पिट (एमडीओ के कार्य क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र) के लिए ऑपरेटर नियुक्त किया गया। एजेंसी ने साइट पर संसाधन जुटाना शुरू कर दिया है।
12. खनन कार्य 15.10.2019 को शुरू हो गया है।

(ञ) महत्वपूर्ण मुद्दे:

क. भूमि का वर्गीकरण (ग्राम अजीजगढ़ में लगभग 240 एकड़ जमीन):

1. अधिग्रहण के समय इस भूमि का सर्वेक्षण नहीं किया गया था और यह न तो राजस्व और न ही वन विभाग के अभिलेखों में थी।
2. वर्ष 2017 के दौरान सर्वेक्षण करने पर, कलेक्टर, रायगढ़ ने सरकारी और निजी भूमि के रूप में पुन:वर्गीकरण करने का प्रस्ताव रखा। और राजस्व विभाग, रायपुर को वर्ष 2018 में सर्वेक्षण रिपोर्ट अग्रेषित की गई थी।
3. मई 2019 में, अजीजगढ़ गांव के क्षेत्र में वृद्धि (राजस्व भूमि के तहत) और पड़ोसी गांवों की भूमि के परिणामस्वरूप किसी कमी का पता लगाने हेतु पुन: जांच के लिए राजस्व विभाग से अनुरोध किया गया। मामला अभी भी जिला प्रशासन के समक्ष लंबित है।

4. जिला कलेक्टर (डीसी), रायगढ़ के साथ 20.11.2020 को अपर सचिव (विद्युत), भारत सरकार द्वारा समीक्षा के दौरान इस पर चर्चा की गई और यह प्रस्ताव वर्तमान में 23.12.2020 से सचिव (भू-राजस्व), छत्तीसगढ़ (सीजी) सरकार, रायपुर के समक्ष प्रक्रियाधीन है।

ख. तलाईपल्ली से लारा विद्युत संयंत्र तक रेल कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण:

1. जिला प्रशासन की 100.51 एकड़ निजी भूमि की अधिसूचित होने के विभिन्न चरणों के अधीन है।
2. वन भूमि [21.73 एकड़ (10 गांव)] क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति (आरईसी) (नागपुर) में एमओईएफएंडसीसी के समक्ष प्रक्रियाधीन है।

(ट) की गई कार्रवाई: भूमि मुद्दों के संबंध में जिला प्रशासन और राज्य प्राधिकरणों से संपर्क किया गया। विभिन्न वैधानिक सांविधिक में तेजी से कार्रवाई करने के संबंध में एमओसी/एमओईएफ एंड सीसी/ एमओएलएंडई/डीजीएमएस के समक्ष मामले को उठाया गया। तलाईपल्ली मुख्य पिट के एमडीओ अनुबंध एलओए 26.08.2020 को मैसर्स त्रिवेणी अर्थमूवर्स प्राइवेट लिमिटेड को जारी किए गए।

- एजेंसी ने साइट पर संसाधन जुटाना शुरू कर दिया है।
- खनन-पूर्व गतिविधियां जैसे वृक्षों की कटाई, इनफिल ड्रिलिंग, भौगोलिक स्थिति का सर्वेक्षण आदि प्रगति पर है।

4. चट्टी बरियातु, चट्टी बरियातु दक्षिण कोल ब्लॉक

(क) आवंटन: एनटीपीसी लिमिटेड

(ख) स्थान: झारखंड

(ग) अधिनियम: सीएमएसपी अधिनियम, 2015

(घ) आवंटन की तिथि : 08.03.2015 (एमओसी द्वारा पुन:आवंटन)

(ङ) उत्पादन की समय-सूची: वर्ष 2021-22 में खनन कार्य शुरू होने की उम्मीद है।

(च) भूगर्भीय भंडार (जीआर)/निष्कर्षण योग्य भंडार (ईआर)(मिलियन टन में) और खनन योजना (एमटीपीए): जीआर = (194+354) एमटी, 7 एमटीपीए और चट्टी बरियातु (दक्षिण) की खनन योजना एमओसी द्वारा अनुमोदित किया जाना है, (ईआर-152+263) एमटी ग्रेड – जी-11 ।

(छ) अंतिम उपयोगकर्ता संयंत्र: बाड़-II टीपीपी इकाई # 1 एवं 2 (2X660 मेगावाट) = 1320 मेगावाट, यू#1 – 30.11.2013 को आरंभ हुआ, यू#2 – 04.03.2015 को आरंभ हुआ।

(ज) इकाई के शुरू होने की समय-सूची: चालू हो गया है।

(झ) वर्तमान स्थिति:

1. 17.03.2006 को जीआर की तैयारी और गवेषण पूरा हुआ।
2. 27.06.2008 को खनन योजना अनुमोदित हुई।
3. 02.02.2011 और 25.11.2011 को चरण-I और II दोनों वन मंजूरियां प्रदान की गईं। 13.04.2017 को वन मंजूरी का पुन: वैधीकरण किया गया।
4. 19.04.10 को पर्यावरण मंजूरी दी गई। 03.03.16 को ईसी का पुन: वैधीकरण किया गया।
5. भूमि मुआवजे का संवितरण प्रगति पर है। धारा 11 के तहत अधिसूचना जारी की गई।

6. खनन पट्टा प्रदान करना – अपेक्षित नहीं है क्योंकि पट्टा क्षेत्र सीबीए अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित किया गया है।

7. दिनांक 14.11.2017 को कोयला नियंत्रक से खदान खोलने की अनुमति मिली।

8. 29.03.2019 को केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), नई दिल्ली द्वारा भूजल निकास के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र(एनओसी) जारी किया गया।

9. एमडीओ जिसे 13.11.2017 को अवार्ड किया गया था संविदात्मक मुद्दों के कारण, 04.07.2019 को निरस्त कर दिया गया। संविदात्मक मुद्दों के कारण, यह मामला न्यायाधीन है। एमडीओ नियुक्ति के लिए नया एनआईटी 19.08.2019 को जारी किया गया। 24.02.2020 को तकनीकी – वाणिज्यिक बोलियों का विश्लेषण अनुमोदित हुआ। 17.08.2020 को मूल्य खोज के लिए रिवर्स ई-नीलामी आयोजित हुई। एमओडी की नियुक्ति के लिए 25.11.2020 को एनआईटी जारी की गई। 15.12.2020 को बोली-पूर्व कांफ्रेंस आयोजित की गई। बोली खोलने की समय-सीमा 07.01.2021 निर्धारित की गई।

10. कोयला उत्पादन का लक्ष्य: मई, 2021; 25.11.2020 को एनआईटी जारी किया गया। बोलीकर्ताओं के अनुरोध पर बोली खोलने 21.01.2021 की तिथि पुन: निर्धारित की गई। खनन शुरू करने के लिए प्राथमिक भूमि और सभी सांविधिक मंजूरियां उपलब्ध हैं।

11. खनन कार्य वर्ष 2021-22 में शुरू होने की उम्मीद है।

(ञ) अति महत्वपूर्ण मुद्दे:

1. जिला प्रशासन से निजी भूमि के मुआवजे के त्वरित वितरण के लिए एनटीपीसी के लिए अधिक से अधिक भुगतान शिविर आयोजित करने का अनुरोध किया गया है।

2. राज्य सरकार से निरंतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

(ट) विलंब के कारण:

- एमओडी की नियुक्ति 13.11.2017 को हुई लेकिन संविदात्मक मुद्दों के कारण एमओडी का अनुबंध 04.07.2019 को निरस्त हो गया।
- इसके बाद एमओडी की नियुक्ति के लिए 19.08.2019 को पुन: एनआईटी जारी किया गया, जिसे 02.11.2020 को रद्द कर दिया गया।
- रेलवे/एमओईएफ एंड सीसी से मंजूरी न मिलने के कारण कोयला निष्कर्षण कॉरिडोर (तोरी – शिवपुर – कठौतिया) में परिवर्तन।
- कोयला परिवहन के लिए सिसाईमोर से शिवपुर रेलवे साइडिंग (7.47 किमी) तक सड़क का सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण।

(ठ) की-गई-कार्रवाई:

- भूमि मुद्दों और कानून व्यवस्था की समस्याओं के संबंध में जिला प्रशासन और राज्य प्राधिकरणों से संपर्क किया गया।
- विभिन्न सांविधिक मंजूरियों में तेजी से कार्रवाई के संबंध में एमओसी/एमओईएफ एंड सीसी/एमओएल एंड ई/ डीजीएमएस के साथ मामले को उठाया गया तथा विद्युत मंत्रालय से भी मदद ली।
- 25.11.2020 को एनआईटी जारी किया गया । बोलीकर्ताओं के अनुरोध पर बोली खोलने को 04.02.2021 के लिए पुन: निर्धारित किया गया।
- खनन कार्य आरंभ करने के लिए सभी मंजूरियां तथा प्राथमिक भूमि उपलब्ध है।

5. केरांदरी कोल ब्लॉक

(क) आवंटनः एनटीपीसी लिमिटेड

(ख) स्थान: झारखंड

(ग) अधिनियम: सीएमएसपी अधिनियम, 2015

(घ) आवंटन की तिथि: 08.09.2015 (एमओसी द्वारा पुन:आवंटन)

(ङ) उत्पादन की समय-सूची: खनन कार्य वर्ष 2021-22 में शुरू होने की उम्मीद है।

(च) भूगर्भीय भंडार (जीआर)/निष्कर्षण योग्य भंडार (ईआर)(मिलियन टन में) और खनन योजना (एमटीपीए): जीआर = 284 एमटी, ईआर = 139.74 एमटी पीआरसी – 6 एमटीपीए, ग्रेड जी-10 ओपन कास्ट खदान।

(छ) अंतिम उपयोगकर्ता संयंत्र: टांडा चरण-II टीपीपी, इकाई : 1 एवं 2 (2X660 मेगावाट) = 1320 मेगावाट।

(ज) इकाई के शुरू होने की समय-सूची: यू 1 : सितंबर, 2019 में आरंभ, यू 2 वर्ष 2020-21 में शुरू होने की उम्मीद है।

(झ) वर्तमान स्थिति:

1. संभावित लाइसेंस अपेक्षित नहीं क्योंकि ब्लॉक का गवेषण दिनांक 08.09.15 को किया गया था।
2. 04.08.2008 को खनन योजना अनुमोदित हुई।
3. 01.02.2012 को एफसी चरण-I प्रदान की गई।
4. 28.08. 2019 को एफसी चरण-II पर सहमति दी गई।
5. 31.03.10 को पर्यावरण मंजूरी दी गई। 13.11.15 को पर्यावरण मंजूरी का पुन: वैधीकरण किया गया।
6. भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है – धारा 4 से 11 के अंतर्गत अधिसूचना को पूरा किया गया। उत्पादन के पहले 5 वर्षों के लिए भूमि अभिचिह्नित कर ली गई है।
7. खनन पट्टा प्रदान करना – अपेक्षित नहीं है क्योंकि पट्टा क्षेत्र को सीबीए अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित कर लिया गया है।
8. एमओडी की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की गई। व्यापक सहभागीदारी के लिए 10.12.2020 को संभावित बोलीकर्ताओं के साथ इंटरएक्टिव सत्र आयोजित किया गया।
9. 28.12.19 को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) से परिचालन की अनुमति प्राप्त हुई।
10. कोयला नियंत्रक द्वारा दिनांक 13.01.20 को परत (सीमा) खोलने की अनुमति प्रदान की गई।
11. पाइप वाहक का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
12. वर्ष 2021-22 में खनन कार्य शुरू होने की उम्मीद है।

(ञ) अति महत्वपूर्ण मुद्दे:

1. स्टेज-II वन मंजूरी 28.08.2019 को प्रदान की गई, वन भूमि का हस्तांतरण और पेड़ काटने की अनुमति अभी भी राज्य सरकार [सचिव (वन) झारखंड सरकार (जीओजेएच)] के पास लंबित है।

   (एक) नामित प्राधिकारी, एमओसी ने एनटीपीसी के पक्ष में त्वरित अनुमति देने के लिए दिनांक 17.06.2020 के पत्र के माध्यम से झारखंड सरकार से अनुरोध किया है।

   (दो) 9.21 करोड़ रुपये 12.02.2020 को प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट के साथ 'एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना (आईडब्ल्यूएलएमपी)' के लिए भुगतान किया गया।

(तीन) राज्य सरकार द्वारा वन्यजीव प्रबंधन योजना के लिए जुटाए गए 15.5 करोड़ रुपये का भुगतान संशोधित भाग के लिए भी किया गया।

2. खनन क्षेत्र के प्रथम वर्ष से प्राथमिकता वाले 210 गृहस्थ विस्थापितों (एचएसओ) का पुनर्वास/पुनर्स्थापन।
3. भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत ओबी डंप (तरहेसा गांव की 84.80 एकड़) के लिए भूमि की अधिसूचना (धारा 19), अपर भूमि अधिग्रहण अधिकारी की अनुपलब्धता के कारण बाधित हो रही है।
4. "बकास्ट भूमि" (2.94 एकड़); "कोई उत्तराधिकार के मामले नहीं" (0.35 एकड़); "बिना स्वामित्व/विवाद के मामले" (3.98 एकड़), का समाधान खनन के पहले वर्ष के लिए तत्काल आवश्यक है।
5. कोयला परिवहन के लिए सिसई मोड़ से शिवपुर रेलवे साइडिंग (7.47 किमी) तक सड़क का सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण।
6. राज्य सरकार से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरंतर सहयोग का अनुरोध किया गया है।

(ट) विलंब के कारण:

- चरण-II वन मंजूरी 28.08.2019 को दी गई, वन भूमि का हस्तांतरण और पेड़ काटने की अनुमति अभी भी राज्य सरकार के पास लंबित है।
- प्रतिकूल कानून व्यवस्था की स्थिति।
- एचएसओ का पुन: स्थान निर्धारण और भूमि दर के मुद्दे।
- जीएम (सरकारी) और वन भूमि में अतिक्रमण के मुद्दे।
- एनटीपीसी बोर्ड की दिनांक 01.07.2018 की बैठक में सीमित आउटसोर्सिंग के साथ विभागीय खनन का निर्णय लिया गया है। अपर्याप्त प्रतिक्रिया के कारण एनआईटी को रद्द कर दिया गया था।

(ठ) की-गई-कार्रवाई:

- भूमि के मुद्दों और कानून व्यवस्था की समस्याओं को जिला प्रशासन एवं राज्य प्राधिकरण के साथ उठाया गया।
- विभिन्न वैधानिक मंजूरियों में तेजी से कार्रवाई के संबंध में एमओसी/एमओईएफ एंड सीसी/ एमओएल एंड ई/ डीजीएमएस के साथ बातचीत की गयी।
- एमडीओ की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की गई। व्यापक भागीदारी के लिए दिनांक 10.12.2020 को संभावित बोलीदाताओं के साथ इंटरएक्टिव सत्र आयोजित किया गया। जनवरी '21 में एनआईटी की संभावना है।

6. बनहरडीह कोयला ब्लॉक

(क) आवंटन: पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (पीवीयूएनएल- एनटीपीसी और झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का संयुक्त उद्यम)

(ख) स्थान: झारखंड

(ग) अधिनियम: सीएमएसपी अधिनियम, 2015

(घ) आवंटन की तिथि: 25.06.2018 को (पहले झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड को ब्लॉक आवंटित किया गया था।)

(ङ) उत्पादन की समय-सूची:

(च) भूगर्भीय भंडार (जीआर)/निष्कर्षण योग्य भंडार (ईआर) (मिलियन टन में) और खनन योजना (एमटीपीए में): जीआर = 920 मीट्रिक टन, खदान योजना-12 एमटीपीए

(छ) एंड यूज़ प्लांट: पतरातू टीपीएस विस्तार 2400 मेगावाट, चरण-I (3 x 800 मेगावाट)।

(ज) यूनिटों के चालू होने की समय-सूची: वर्ष 2022 में उम्मीद है।

(झ) वर्तमान स्थिति:

1. भूगर्भीय रिपोर्ट जेवीयूएनएल से दिनांक 27.07.2019 को प्राप्त हुई ।
2. वन मंजूरी स्टेज- I के लिए दिनांक 22.06.2020 को आवेदन ऑनलाइन जमा किया गया।
3. पर्यावरण मंजूरी के लिए दिनांक 26.06.2020 को आवेदन ऑनलाइन जमा किया गया और संदर्भ की शर्तें (टीओआर) दिनांक 02.10.2020 को अनुमोदित की गईं।
4. भूमि अधिग्रहण: एमओसी द्वारा दिनांक 31.12.2020 को जारी सीबीए अधिनियम के तहत धारा 9 की अधिसूचना।
5. पीवीयूएनएल ने एमओसी से वास्तविक जीआर प्राप्ति तिथि, "27.07.2019", को 'शून्य तिथि' मानते हुए, आवंटन समझौते के दक्षता मानदंडों के अनुसार ब्लॉक विकास गतिविधियों की लक्ष्य तिथियों को संशोधित करने का अनुरोध किया है।
6. जनवरी, 23 तक कोयला उत्पादन शुरू।

(ञ) अति महत्वपूर्ण मुद्दे:

1. एमओसी ने भूगर्भीय रिपोर्ट (जीआर) से जुड़े लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण पीवीयूएनएल से दिनांक 17.07.2019 को 118 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी (निष्पादन प्रतिभूति) को विनियोजित किया है। बैंक गारंटी (बीजी) की नकद राशि वापस कर दी जानी चाहिए क्योंकि एनटीपीसी/पीवीयूएनएल विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं है । उपरोक्त के अलावा एनटीपीसी ने अपने पत्र दिनांक 27.10.2020 के माध्यम से एमओसी से बनहरडीह कोयला खदान के लिए खनन योजना (खदान बंद करने की योजना सहित), आबंटन करार के दक्षता मापदंडों के लंबित संशोधन, के लिए अनुमोदन देने का अनुरोध किया है । एमओसी ने 35.64 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को इसके बाद विनियोजित किया है । दूसरी बार लक्ष्य प्राप्त न होने का हवाला दिया गया।
2. एनटीपीसी/पीवीयूएनएल, झारखंड राज्य सरकार से जीआर की वास्तविक प्राप्ति की तारीख '27.07.2019' को पिछले आवंटन के लिए 'शून्य तिथि' के रूप में मानते हुए दक्षता मानदंडों के लक्ष्यों के संशोधन के लिए एमओसी के साथ संपर्क कर रहा है।

(ट) विलंब के कारण:

- जेयूयूएनएल से जीआर की प्राप्ति की तिथि 27.07.2019 (समय-सूची से 27 माह पीछे) है।
- एमओसी ने 11.08.2020 को खनन योजना को यह कहते हुए सूची से बाहर कर दिया कि इसे नामित प्राधिकारी के साथ विचार-विमर्श के बाद दक्षता मानदंडों के अनुरूप प्रस्तुत किया जाना है।

(ठ) की-गई-कार्रवाई:

- पीवीयूएनएल/एनटीपीसी ने लगभग सभी राज्य स्तरीय सचिवालय की बैठकों, सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में आयोजित निगरानी समिति की बैठकों, विद्युत मंत्रालय में समीक्षा बैठकों, पत्रों और मासिक रिपोर्ट के माध्यम से एनए को अवगत कराने के लिए जीआर की अनुपलब्धता के मुद्दे को उठाया।
- एमओसी को 30.03.2020 को खनन योजना सौंपी गई।

- भूमि अधिग्रहण के लिए एमओसी द्वारा 31.12.2020 को सीबीए अधिनियम के तहत धारा 9 की अधिसूचना जारी की गई।
- 02.10.2020 को एमओईएफ एंड सीसी द्वारा टीओआर अनुमोदित की गई; ईआईए अध्ययन के लिए दिनांक 18.11.2020 को सलाहकार नियुक्त किया गया - डाटा संग्रहण का कार्य प्रगति पर है।

7. बदम कोयला ब्लॉक

(क) आवंटन: एनटीपीसी लिमिटेड।

(ख) स्थान: झारखंड

(ग) अधिनियम: सीएमएसपी अधिनियम, 2015

(घ) आवंटन की तिथि: 02.09.2019

(ङ) उत्पादन की समय-सूची: मई, 2023 तक खनन कार्य अपेक्षित है।

(च) भूगर्भीय भंडार (जीआर)/निष्कर्षण योग्य भंडार (ईआर) (मिलियन टन में) और खनन योजना (एमटीपीए में): जीआर = 145 मीट्रिक टन, ईआर- 90.50 मीट्रिक टन, पीआरसी – 3.0 एमटीपीएएमटीपीए

(छ) एंड यूज़ प्लांट: बरौनी टीपीपी एक्सटेंशन 500 मेगावाट यू: 8 और 9 (2x250 मेगावाट)

(ज) यूनिटों के आरम्भ होने की समय-सूची: यू 8: चालू की गई , यू 9: वर्ष 2020-21 में उम्मीद है।

(झ) वर्तमान स्थिति:

1. पूर्वेक्षण लाइसेंस और जीआर 31.08.2015 को पूरा हुआ।
2. ईयूपी (बरौनी टीपीएस) को एनटीपीसी में हस्तांतरित कर दिया गया है।
3. एमओसी ने 02.09.19 को ब्लॉक को एनटीपीसी को हस्तांतरित कर दिया।
4. एनटीपीसी सीबीए अधिनियम के तहत भूमि का अधिग्रहण करेगा।
5. दिनांक 24.08.2006 को अनुमोदित खनन योजना दिनांक 31.08.2015 को बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (बीएसपीजीसीएल) हस्तांतरित की गई। खनन योजना आवंटन आदेश के साथ एनटीपीसी को हस्तांतरित की गई।
6. एफसी स्टेज-I को 14.01.2020 को मेसर्स बीएसपीजीसीएल से एनटीपीसी को हस्तांतरित कर दिया गया। चरण-II एफसी के लिए, दिनांक 14.03.2020 को चरण-I फ़ाइल का अनुपालन क्षेत्रीय प्रमुख वन संरक्षक (आरसीसीएफ), हजारीबाग को हस्तांतरित कर दिया गया। नोडल अधिकारी रांची ने चरण-1 एफसी अनुपालन फाइल को सचिव, (पर्यावरण एवं वन), झारखंड सरकार के पास दिनांक 10.08.20 को अग्रेषित किया।
7. उप सचिव (खान एवं भूविज्ञान) के साथ दिनांक 14.08.2020 को बैठक आयोजित हुई और एनटीपीसी को यह आश्वासन दिया गया था कि बदम का खनन पट्टा चरण-II वन मंजूरी के बाद दिया जाएगा।
8. ईसी 26.11.2015 को मैसर्स बीएसपीजीसीएल को हस्तांतरित कर दिया गया। एनटीपीसी को दिनांक 21.05.20 को पर्यावरण मंजूरी हस्तांतरित की गई।
9. एनटीपीसी में खनन पट्टे के हस्तांतरण के लिए जिला खनन पदाधिकारी (डीएमओ), हजारीबाग को दिनांक 17.01.2020 को आवेदन प्रस्तुत किया गया।
10. 18.03.20 को मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम), धनबाद के साथ बैठक में, एनटीपीसी ने बरौनी टीपीएस तक कोयले के परिवहन के लिए बीईएस साइडिंग का उपयोग करने का अनुरोध किया । दिनांक

20.03.2020 को, रेलवे अधिकारियों तथा एनटीपीसी ने संयुक्त रूप से प्रस्तावित बीईएस साइडिंग का सर्वेक्षण किया।

11. डीसी हजारीबाग को 15.07.2020 को गैर-मजरुआखास (जीएम) बदम की भूमि का हस्तांतरण एनटीपीसी में करने के लिए पत्र भेजा गया ।

(ञ) अति महत्वपूर्ण मुद्दे:

1. भूमि अधिग्रहण में देरी का हवाला देते हुए एमओसी ने 3.537 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी विनियोजित की ।एनटीपीसी ने दिनांक 02.12.2020 के पत्र के द्वारा एमओपी से इस मामले को एमओसी के साथ उठाने और इस खदान का एनटीपीसी को स्थानांनतरण की वास्तविक तिथि पर विचार करते हुए दक्षता पैरामीटर को संशोधित करने का अनुरोध किया।

2. एनटीपीसी एमओसी के साथ दक्षता पैरामीटरों के लक्ष्य के संशोधन के लिए, दिनांक 02.09.2019, बीएसपीजीसीएल से खदान की वास्तविक हस्तांतरण की तिथि, जो एनटीपीसी के लिए, पिछले विश्लेषण की तिथि थी, "शून्य तिथि" के रूप में विचार करते हुए संपर्क कर रहा है। खनन पट्टा : 'माइनिंग लीज ट्रांसफर' के लिए आवेदन डीएमओ, हजारीबाग को दिनांक 17.01.2020 को जमा किया गया–सलाह के अनुसार, संशोधित आवेदन 30.05.2020 को प्रस्तुत किया गया। जिला प्रशासन के साथ यह मामला प्रक्रियाधीन है।

3. एफसी स्टेज-II: स्टेज-। एफसी को बीएसपीजीसीएल से 14.01.2020 को हस्तांतरित किया गया। वन मंजूरी स्टेज-II का प्रस्ताव अभी भी राज्य सरकार वन विभाग के पास है।

4. सरकारी भूमि का हस्तांतरण (133.38 एकड़): एनटीपीसी ने 28.02.2020 और 15.07.2020 को झारखंड सरकार से एनटीपीसी को संपूर्ण जीएम भूमि के हस्तांतरण के लिए अनुरोध किया, जिसे पहले झारखंड सरकार द्वारा मेसर्स तेनुघाट एमटा कोल माइन्स लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया था।

5. एनटीपीसी ने पत्र दिनांक 05.05.2020 द्वारा जिला प्रशासन से जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी (डीएलएओ) के माध्यम से शेष निजी भूमि (260/313 एकड़) का पूरा भुगतान करने के लिए अनुरोध किया। नामित प्राधिकारी, एमओसी द्वारा 02.07.2020 को आयोजित समीक्षा बैठक में इन मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिसमें सचिव (खान), झारखंड सरकार और निदेशक (भूमि रिकॉर्ड), झारखंड सरकार से शीघ्रता करने के लिए अनुरोध किया गया था।

8. मंदाकिनी बी कोयला ब्लॉक

(क) आवंटन: एनटीपीसी लिमिटेड

(ख) स्थान: ओडिशा

(ग) अधिनियम: सीएमएसपी अधिनियम, 2015

(घ) आवंटन की तिथि: 08.08.2016

(ङ) उत्पादन की समय-सूची: एनटीपीसी ने कोयला मंत्रालय (एमओसी) से 26.12.2020 को सरेंडर करने के लिए संपर्क किया।

(च) भूगर्भीय भंडार (जीआर) और खनन योजना (एमटीपीए में): जीआर - 1200 मीट्रिक टन, पीआरसी - 20।

(छ) एंड यूज़ प्लांट: तेलंगाना फेज-I, 2x800 मेगावाट

(ज) यूनिटों के आरम्भ होने की समय-सूची: यू-1 और यू-2 2020-21 में संभावित हैं।

(झ) वर्तमान स्थिति:

मंदाकिनी-बी कोयला ब्लॉक में भूमि मुआवजे, रोजगार आदि के लिए उनकी अनुचित मांगों के लिए ग्रामीणों के प्रतिरोध के कारण पिछले दो वर्षों से ब्लॉक विकास गतिविधियों में देरी पर विचार करते हुए और बनई और भालुमुडा कोयला ब्लॉकों में भू-खनन अवरोधों और कोयला निष्कर्षण के संभावित कम प्रतिशत के कारण, एनटीपीसी ने इन सभी तीन ब्लॉकों को सौंपने का निर्णय लिया है। तदनुसार एनटीपीसी ने सौंप देने के लिए 26.12.2020 को कोयला मंत्रालय (एमओसी) से संपर्क किया।

(ञ) विलंब के कारण:

- सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण (एसईएस) दिसंबर, 2018 से ग्रामीणों के प्रतिरोध के कारण शुरू नहीं किया जा सका, बहुत अधिक भूमि दर की मांग - 1-2.5 करोड़ रु/एकड़ (नवीनतम बेंचमार्क मूल्य के भारित औसत के मुकाबले अर्थात् 32 लाख रुपये/एकड़, जिसमें 1.8 और 100% सॉलेटियम के गुणक कारक शामिल हैं); सभी प्रकार की भूमि के लिए एक समान दर, एनटीपीसी आदि में स्थायी नौकरी। आरएपी, ईएमपी आदि के लिए आवश्यक एसईएस डेटा, चुनाव आयोग के लिए बुनियादी इनपुट।
- एसईएस डेटा की अनुपलब्धता के कारण, एनटीपीसी पर्यावरण प्रबंधन योजना पर्यावरण मंजूरी के लिए बुनियादी इनपुट, तैयार करने में सक्षम नहीं है।
- ग्रामीण, एमओसी द्वारा धारा 7 अधिसूचना (07.04.2019) के जारी करने के 20 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, कोयला नियंत्रक को सीबीए अधिनियम की धारा-8 से एनओसी जारी करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, इस प्रकार भूमि अधिग्रहण के लिए धारा-9 अधिसूचना के लिए एनटीपीसी के आवेदन में विलंब हुआ।

(ट) की-गई-कार्रवाई/अपेक्षित सहायता:

एनटीपीसी ने ग्रामीणों द्वारा भूमि मुआवजा, रोजगार, आदि के लिए उनकी अनुचित मांगों के विरोध के कारण, पिछले दो वर्षों से ब्लॉक विकास गतिविधियों में हो रहे विलंब को देखते हुए इसकी अव्यवहार्यता के कारण, इस ब्लॉक को सौंपने का निर्णय लिया है और इस ब्लॉक को सरेंडर करने के लिए 26.12.2020 को कोयला मंत्रालय (एमओसी) से संपर्क किया है।

9: बनई कोयला ब्लॉक

(क) आवंटन: एनटीपीसी लिमिटेड।

(ख) स्थान: छत्तीसगढ़

(ग) अधिनियम: खदान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम)

(घ) आवंटन की तिथि: 31.03.2015

(ङ) उत्पादन की समय-सूची: एनटीपीसी ने अभ्यर्पण के लिए दिनांक 26.12.2020 को कोयला मंत्रालय (एमओसी) से संपर्क किया।

(च) भूगर्भीय भंडार (जीआर) और खनन योजना (एमटीपीए में): जीआर - 608 मीट्रिक टन, एसआर 1:8 है, ग्रेड-जी-12 से जी-14, खान योजना (बनई + भालुमुडा = 12)

(छ) एंड यूज़ प्लांट: बरेठी-I (2640 मेगावाट) परियोजना अभी बंद है। एनटीपीसी ने कोयला मंत्रालय से अपने दिनांक 30.04.2020 के पत्र में बनई खान से कुडगी विद्युत संयंत्र के लिए कोयले के उपयोग पर विचार करने का अनुरोध किया।

(ज) यूनिटों के आरम्भ होने की समय-सूची: बरेठी-I (2640 मेगावाट) परियोजना अभी बंद है।

(झ) वर्तमान स्थिति:

मंदाकिनी-बी कोयला ब्लॉक में भूमि मुआवजे, रोजगार आदि के लिए उनकी अनुचित मांगों हेतु ग्रामीणों के प्रतिरोध

के कारण पिछले दो वर्षों से ब्लॉक विकास गतिविधियों में विलंब को देखते हुए और भू-खनन बाधाओं तथा बनई और भालुमुडा कोयला ब्लॉक में कोयला निष्कर्षण का कम प्रतिशत होने की संभावना के कारण, एनटीपीसी ने इन तीनों ब्लॉकों को अभ्यर्पित करने का निर्णय किया है। तदनुसार, एनटीपीसी ने दिनांक 26.12.2020 को अभ्यर्पण के लिए कोयला मंत्रालय (एमओसी) से संपर्क किया।

(ञ) विलंब के कारण:

- सीएमपीडीआईएल की सलाह के अनुसार, एनटीपीसी ने मार्च, 2018 में इन दो निकटवर्ती कोयला खदानों (बनई और भालुमुडा) के विलय के लिए कोयला मंत्रालय से संपर्क किया, क्योंकि किसी भी ब्लॉक और आसपास के क्षेत्र में ओबी डंपिंग के लिए पर्याप्त भूमि, विशेष रूप से इन खदानों का उच्च (>7.5) को देखते हुए) स्ट्रिप अनुपात, उपलब्ध नहीं है।
- कोयला मंत्रालय ने दिनांक 04.01.2019 के पत्र द्वारा एनटीपीसी को इन दो कोयला ब्लॉकों का विलय करके निष्कर्षण योग्य भंडार में वृद्धि, खनन में आसानी आदि का विश्लेषण करने के लिए सीएमपीडीआई से संपर्क करने की सलाह दी।
- सीएमपीडीआईएल ने अपने दिनांक 03.04.2019 के पत्र द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं कि इन दोनों ब्लॉकों के विलय से निष्कर्षण योग्य भंडार में 125 एमएमटी तक की वृद्धि हो जाएगी।
- जब एनटीपीसी ने कोयला मंत्रालय से मार्च, 2018 में पहला औपचारिक अनुरोध किया, तब से विलय के मुद्दों पर कोयला मंत्रालय के साथ कई बैठकें और विचार-विमर्श किए गए थे।
- फरवरी, 2020 में, कोयला मंत्रालय ने उनके इनकार की सूचना दी। एनटीपीसी ने सीएमपीडीआईएल को अलग खनन योजना तैयार करने को कहा। हाल ही में प्राप्त अंतिम खनन योजनाओं और खदान समापन योजनाओं की जांच की गई है।

(ट) की-गई-कार्रवाई/अपेक्षित सहायताः

- भू-खनन बाधाओं और कोयला निष्कर्षण के संभावित कम प्रतिशतता को ध्यान में रखते हुए के साथ, एनटीपीसी ने बनई और भालुमुडा दोनों कोयला ब्लॉकों को छोड़ने तथा कोयला मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित कोयला ब्लॉक विकास और उत्पादन समझौते (सीबीडीपीए) को समाप्त करने का निर्णय लिया।
- इस संबंध में, एनटीपीसी ने इन कोयला ब्लॉकों को अभ्यर्पित करने के लिए दिनांक 26.12.2020 को कोयला मंत्रालय से संपर्क किया है।

10: भालुमुडा कोयला ब्लॉक

(क) आवंटन: एनटीपीसी लिमिटेड।

(ख) स्थान: छत्तीसगढ़

(ग) अधिनियम: एमएमडीआर अधिनियम

(घ) आवंटन की तिथि: 31.03.2015

(ङ) उत्पादन की समय-सूची: एनटीपीसी ने अभ्यर्पण के लिए दिनांक 26.12.2020 को कोयला मंत्रालय (एमओसी) से संपर्क किया।

(च) भूगर्भीय भंडार (जीआर) और खनन योजना (एमटीपीए में): जीआर - 767 मीट्रिक टन

(छ) एंड यूज़ प्लांट: कुडगी-I (3x800 मेगावाट)

(ज) यूनिटों के आरम्भ होने की समय-सूची: सभी आरम्भ की गईं, यू-1: 25.12.2016 को, यू-2: 23.03.2017 को, यू-3: 12.03.20218 को।

(झ) वर्तमान स्थिति:

मंदाकिनी-बी कोयला ब्लॉक में भूमि मुआवजे, रोजगार आदि के लिए उनकी अनुचित मांगों हेतु ग्रामीणों के प्रतिरोध के कारण पिछले दो वर्षों से ब्लॉक विकास गतिविधियों में विलंब को देखते हुए और भू-खनन बाधाओं तथा बनई और भालुमुडा कोयला ब्लॉक में कोयला निष्कर्षण का कम प्रतिशत होने की संभावना के कारण, एनटीपीसी ने इन तीनों ब्लॉकों को अभ्यर्पित करने का निर्णय किया है। तदनुसार, एनटीपीसी ने दिनांक 26.12.2020 को अभ्यर्पण के लिए कोयला मंत्रालय (एमओसी) से संपर्क किया।

(ञ) विलंब के कारण:

- सीएमपीडीआईएल की सलाह के अनुसार, एनटीपीसी ने मार्च, 2018 में इन दो निकटवर्ती कोयला खदानों (बनाई और भालुमुडा) के विलय के लिए कोयला मंत्रालय से संपर्क किया, क्योंकि किसी भी ब्लॉक और आसपास के क्षेत्र में ओबी डंपिंग के लिए, विशेष रूप से इन खानों का उच्च (>7.5) को देखते हुए स्ट्रिप अनुपात, पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है।
- कोयला मंत्रालय ने दिनांक 04.01.2019 के पत्र द्वारा एनटीपीसी को इन दो कोयला ब्लॉकों का विलय करके निष्कर्षण योग्य भंडार में वृद्धि, खनन में आसानी आदि का विश्लेषण करने के लिए सीएमपीडीआई से संपर्क करने की सलाह दी।
- सीएमपीडीआईएल ने अपने दिनांक 03.04.2019 के पत्र द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं कि इन दोनों ब्लॉकों के विलय से निष्कर्षण योग्य भंडार में 125 एमएमटी तक की वृद्धि हो जाएगी।
- जब एनटीपीसी ने कोयला मंत्रालय से मार्च, 2018 में पहला औपचारिक अनुरोध किया, तब से विलय के मुद्दों पर कोयला मंत्रालय के साथ कई बैठकें और विचार-विमर्श किए गए थे।
- फरवरी, 2020 में, कोयला मंत्रालय ने उनके इनकार की सूचना दी। एनटीपीसी ने सीएमपीडीआईएल को अलग खनन योजना तैयार करने को कहा। हाल ही में प्राप्त अंतिम खनन योजनाओं और खान समापन योजनाओं की जांच की गई है।

(ट) की-गई-कार्रवाई/अपेक्षित सहायताः

- भौगोलिक-खनन बाधाओं और कोयला निष्कर्षण की संभावित कम प्रतिशतता को ध्यान में रखते हुए के साथ, एनटीपीसी ने बनई और भालुमुडा दोनों कोयला ब्लॉकों को छोड़ने तथा कोयला मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित कोयला ब्लॉक विकास और उत्पादन समझौते (सीबीडीपीए) को समाप्त करने का निर्णय लिया।
- इस संबंध में, एनटीपीसी ने इन कोयला ब्लॉकों को अभ्यर्पित करने के लिए दिनांक 26.12.2020 को कोयला मंत्रालय से संपर्क किया है।

ख. डीवीसी को आबंटित कोयला ब्लॉक

3.7 डीवीसी को आवंटित कोयला ब्लॉकों के विकास की वर्तमान स्थिति और सामने आ रही समस्याओं का विद्युत मंत्रालय द्वारा यथा प्रस्तुत ब्यौरा निम्नवत् है-

1. खागरा जॉयदेव कोयला ब्लॉक

(क) आवंटन: दामोदर घाटी निगम (डीवीसी)।

(ख) स्थान: पश्चिम बंगाल

(ग) अधिनियम: सीएमएसपी अधिनियम, 2015

(घ) आवंटन की तिथि: 28.03.2015

(ङ) उत्पादन की समय-सूची: उत्पादन वर्ष 2022-23 में शुरू हो सकता है।

(च) भूगर्भीय भंडार (जीआर) और खनन योजना (एमटीपीए में): जीआर = 178.25 मीट्रिक टन, एमआर = 103.8 मीट्रिक टन, पीआरसी – 3 एमटीपीए, ग्रेड – जी -7/8, एसआर – 6.2 घन मीटर/टन

(छ) एंड यूज़ प्लांट: मेजिया टीपीएस फेज-II, यूनिट 7 और 8 (2x500 मेगावाट)

(ज) यूनिटों के आरम्भ होने की समय-सूची: यूनिट # 7-अगस्त, 2011 में आरम्भ की गई। यूनिट # 8-अगस्त, 2012 में आरम्भ की गई।

(झ) वर्तमान स्थिति:

1. जीआर दिनांक 01.04.2015 को प्राप्त किया गया।
2. खनन योजना दिनांक 03.10.2006 को अनुमोदित की गई।
3. कोई वन भूमि नहीं। वन मंजूरी अपेक्षित नहीं है।
4. खनन पट्टा दिनांक 14.10.2015 को प्राप्त किया गया।
5. पर्यावरण मंजूरी दिनांक 06.07.15 को दी गई।
6. भूमि – खागरा-जॉयदेव कोयला खदान के लिए 3517.17 एकड़ भूमि की सीधी खरीद हेतु उद्योग, अवसंरचना और रोजगार, पश्चिम बंगाल सरकार संबंधी मंत्रिमंडल स्थायी समिति की सहमति प्राप्त करने के लिए सीधी खरीद के माध्यम से भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना (पश्चिम बंगाल सरकार (जीओडब्ल्यूबी) की राजपत्र अधिसूचना 756-एलपी/आईए-03/14 (पार्ट-II) 25.02.2016) के अनुसार दिनांक 11.02.2020 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद, जिलाधिकारी (डीएम), वीरभूम से जमीन की कीमत तय करने का अनुरोध किया जाएगा।
7. खदान बंदी योजना को दिनांक 26.09.2019 को अनुमोदित किया गया।
8. एमडीओ - मेसर्स गैनन डंकरली एंड कंपनी लिमिटेड, अम्बे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, गोदावरी कमोडिटीज लिमिटेड के स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) खागरा-जॉयदेव रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड को दिनांक 31.03.17 को नियुक्त किया गया।
9. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को रेलवे द्वारा दिनांक 16.04.19 को अनुमोदित किया गया।

(ञ) अति महत्वपूर्ण मुद्दे:

1. मुख्य मुद्दा भूमि की खरीद है। पश्चिम बंगाल में एलए अधिनियम 2013 के नियम नहीं बनाए गए हैं। भूमि का अधिग्रहण भू-स्वामियों से सीधी खरीद के तहत किया जाता है।
2. भूमि की सीधी खरीद के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रतीक्षित है।
3. जमीन की कीमत और आर एंड आर पैकेज का निर्धारण अभी किया जाना है।

2. तुबैद कोयला ब्लॉक

(क) आवंटन: डीवीसी।

(ख) स्थान: पश्चिम बंगाल

(ग) अधिनियम: सीएमएसपी अधिनियम, 2015

(घ) आवंटन की तिथि: 07.10.2016

(ङ) उत्पादन की समय-सूची : उत्पादन 2021-22 में शुरू हो सकता है

(च) भूगर्भीय भंडार (जीआर) और खनन योजना (एमटीपीए में): जीआर -189.83 एमटी पीआरसी - 6 एमटीपीए, ग्रेड - जी-11/12, एसआर- 2.15 क्यूबिक मीटर/टन

(छ) एंड यूज़ प्लांट: चंद्रपुरा यू-8 (250 मेगावाट) [यूनिट # 8 जुलाई, 2012], मेजिया यू-7 और 8 (2x500 मेगावाट) [इकाई # 7-अगस्त, 2011 में आरम्भ की गई। यूनिट#8- अगस्त, 2012 में आरम्भ की गई], कुल = 1250 मेगावाट)

(ज) यूनिटों के आरम्भ होने की समय-सूची: सभी चालू की गईं।

(झ) वर्तमान स्थिति:

1. जीआर पूर्व आबंटिती (मैसर्स ट्यूबड कोल माइन्स लिमिटेड (टीसीएमएल)) द्वारा खरीदा गया था और दिनांक 10.07.2016 को आवंटन आदेश के साथ डीवीसी को हस्तांतरित कर दिया गया।
2. खनन योजना दिनांक 10.07.2016 को स्वीकार की गई।
3. वन मंजूरी चरण-I दिनांक 13.11.19 को अनुमोदित की गई। 2. चरण-II वन मंजूरी के लिए आवेदन फरवरी, 2020 में संभागीय वन अधिकारी (डीएफओ), लातेहार को प्रस्तुत किया गया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) द्वारा आवेदन दिनांक 24.112020 को प्रमुख सचिव, पर्यावरण और वन, झारखंड सरकार को अग्रेषित किया गया।
4. पर्यावरण मंजूरी के लिए टीओआर दिनांक 16.03.2018 को प्राप्त की गई। पर्यावरण मंजूरी दिनांक 28.04.2020 को दी गई।
5. भूमि अधिग्रहण- भूमि सीबीए (एएंडडी) अधिनियम की धारा 7 के तहत अधिग्रहित की जाती है। धारा 4(1) और 7(1) के तहत अधिसूचना भारत के राजपत्र (असाधारण) में क्रमशः 11.09.2017 और 24.01.2018 को प्रकाशित की गई। कोयला नियंत्रक द्वारा धारा 8 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 03.04.2018 को जारी किया गया। सीबीए अधिनियम 1957 की धारा 11 के तहत अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 01.09.19 को प्रकाशित की गई।
6. डीसी लातेहार द्वारा स्थानीय ग्रामीणों एवं डीवीसी के साथ देय भूमि मुआवजे के संबंध में दिनांक 26.10.19 को बैठक की गई। भूमि मुआवजे के पैकेज को अंतिम रूप दे दिया गया है और प्राप्तकर्ताओं की सूची प्रकाशित की जा रही है। आर एंड आर समिति की बैठक दिनांक 20.10.2020 को आयोजित की गई और आर एंड आर पैकेज के लिए रोड मैप को अंतिम रूप दिया गया है। अंतिम आर एंड आर पैकेज आर एंड आर समिति की अगली बैठक में अनुमोदित किया जाएगा।
7. खनन पट्टा – कोयला मंत्रालय ने सीबीए अधिनियम की धारा 11(1) के तहत दिनांक 28.08.2018 को आदेश जारी किया और दिनांक 26.08.2018 से 01.09.2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचित किया।
8. एमडीओ – मैसर्स एसआईसीएएल-एएमपीएल-जीसीएल के एसपीवी मैसर्स डेवलेक्टो माइनिंग लिमिटेड ने रेलवे की कंसोर्टियम डीपीआर दिनांक 13.11.19 को प्रस्तुत की।

(ञ) अति महत्वपूर्ण मुद्दे: चरण-II वन मंजूरी लंबित है।

ग. टीएचडीसी को आबंटित कोयला ब्लॉक

3.8 टीएचडीसी को आवंटित कोयला ब्लॉकों के विकास की वर्तमान स्थिति और सामने आ रही समस्याओं का विद्युत मंत्रालय द्वारा यथा प्रस्तुत ब्यौरा निम्नवत् है:–

1. अमेलिया कोयला ब्लॉक

(क) आवंटन: टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड।

(ख) स्थान: मध्य प्रदेश

(ग) अधिनियम: सीएमएसपी अधिनियम, 2015

(घ) आवंटन की तिथि: 17.01.2017

(ङ) उत्पादन की समय-सूची: वर्ष 2023-24 में उत्पादन की संभावना है।

(च) भूगर्भीय भंडार (जीआर) और खनन योजना (एमटीपीए में): जीआर - 393.6 मीट्रिक टन, पीआरसी- 5.6 एमटीपीए, एसआर- 3.67 घन मीटर/टन

(छ) एंड यूज़ प्लांट: खुर्जा एसटीपीपी, 1320 मेगावाट (2x660 मेगावाट)

(ज) यूनिटों के आरम्भ होने की समय-सूची: यूनिट 1-नवंबर, 2022 में अपेक्षित, पहली इकाई के 6 महीने बाद दूसरी इकाई।

(झ) वर्तमान स्थिति:

1. दिनांक 09.02.2017 को पूर्व आबंटिती अर्थात् मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड (एमपीएसएमसीएल) से प्राप्त मूल जीआर।
2. एमओईएफ एंड सीसी ने दिनांक: 12.12.2018 के आदेश द्वारा, खनन योजना की पुनरीक्षण की शर्त के साथ 411.50 हेक्टेयर वन भूमि की कटौती के बाद, एफसी-1 प्रदान किया है, जो मूल रूप से टीएचडीसीआईएल को निहित किया गया था, आवंटन आदेश दिनांक 17.01.2017 एफसी-II के अनुदान के लिए अनुपालन रिपोर्ट, प्रधान मुख्य संरक्षक वन (एपीसीसीएफ), भोपाल को दिनांक 18.10.2019 को प्रस्तुत किया गया। एपीसीसीएफ (एलएम), भोपाल ने चरण-2 एफसी के अनुमोदन के लिए 01.05.2020 को एमओईएफ एंड सीसी को अनुपालन अग्रेषित किया गया । टीएचडीसी के अनुरोध पर, अवर सचिव, एमओपी ने 08.05.2020 को एफसी-II के शीघ्र प्रदान करने के लिए एमओईएफ से अनुरोध किया।
3. 13.03.2020 को एमओसी द्वारा संशोधित खदान योजना को सहमति प्रदान की गई।
4. पूर्व आबंटिती एमपीएसएमसीएल को 27.03.2008 को ईसी प्रदान की गई और टीएचडीसी को हस्तांतरित की जाएगी । इस मामले पर 29.09.2020 और 27.10.2020 को विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) की बैठक में चर्चा की गई थी।
5. भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।
6. खनन पट्टा प्रदान करना - खनन पट्टा शीघ्र प्रदान करने के लिए निजी सचिव(खनन) के साथ, इस मामले पर विचार किया जा रहा है।
7. एसबीआईसीएपी के माध्यम से चयनित एमडीओ की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।
8. हाई टेंशन (एचटी) लाइनों को शिफ्ट करने का कार्य पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) द्वारा मैसर्स आर.एस. इंफ्रा नोएडा को 28.11.2019 को 45.12 करोड़ रुपये की अवार्ड की गई लागत पर सौंपा गया है।
9. भूगर्भीय रिपोर्ट के विस्तृत गवेषण और तैयारी का कार्य सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट (सीएमपीडीआई) दिनांक 17.02.2020 के एलओए के माध्यम से सौंपा गया। 13.02.2020 से कार्य शुरू हुआ और सितम्बर, 2020 तक 86 में से 34 बोरहोल की ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है।
10. 14.10.2020 को एमओसी द्वारा कोयला निष्कर्षण कॉरीडोर प्रदान किया गया।

(ञ) अति महत्वपूर्ण मुद्दे:

1. दिनांक 27.03.2008 को पूर्व आबंटिती अर्थात् मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल को ईसी पहले ही प्रदान किया जा चुका है। सीएमएसपी अधिनियम, 2015 के तहत टीएचडीसीआईएल के आवंटन आदेश 17.01.2017 के साथ ईसी निहित थी। टीएचडीसीआईएल के नाम पर ईसी के हस्तांतरण का मामला टीएचडीसीआईएल, एमओपी, एमओसी, उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग आदि द्वारा एमओइएफ एंड सीसी के साथ उठाया जा रहा है, पर यह अभी भी लंबित है। यह अमेलिया कोयला खदान के समयबद्ध विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा है।

2. स्टेज-I एफसी 12.12.2018 को टीएचडीसीआईएल को प्रदान किया गया और एफसी-II प्रदान करने के लिए, पूर्व आबंटिती को प्रदान की गई ईसी को टीएचडीसीआईएल के नाम पर हस्तांतरित किया जाना है। चूंकि ईसी को टीएचडीसीआईएल के नाम में हस्तांतरित किया जाना है, इसलिए एफसी-II अभी भी लंबित है।

3. ईसी का हस्तांतरण न होने के कारण खनन पट्टे का निष्पादन और एफसी-II प्रदान करना लंबित है।

घ. एनएलसी को आबंटित कोयला ब्लॉक

3.9 एनएलसी को आवंटित कोयला ब्लॉकों के विकास की वर्तमान स्थिति और सामने आ रही समस्याओं का विद्युत मंत्रालय द्वारा यथा प्रस्तुत ब्यौरा निम्नवत् है-

1 और 2. तालाबीरा-II और III कोयला ब्लॉक

(क) आवंटन: एनएलसी इंडिया लिमिटेड।

(ख) स्थान: ओडिशा

(ग) अधिनियम: सीएमएसपी अधिनियम, 2015

(घ) आवंटन की तिथि: 02.05.2016

(ङ) उत्पादन की समय-सूची: कोयला उत्पादन अप्रैल, 2020 में शुरू हुआ

(च) भूगर्भीय भंडार (जीआर) और खनन योजना (एमटीपीए में): जीआर-589.21 मीट्रिक टन, ईआर- 553.98 मीट्रिक टन, ग्रेड- जी-12, पीआरसी-23 एमटीपीए, ओपनकास्ट खदान

(छ) एंड यूज़ प्लांट: एनटीपीएल (एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड) टीपीएस - (2x500 मेगावाट) आरम्भ की गई। तालाबीरा टीपीपी फेज-I और II (3x800 मेगावाट + 1x800 मेगावाट) (प्रस्तावित) - ओडिशा सरकार द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन जारी किया गया।

(ज) यूनिटों के आरम्भ होने की समय-सूची: एनटीपीएल 1000 मेगावाट आरम्भ की गई, तालाबीरा टीपीपी फेज-I और II (3x800 मेगावाट + 1x800 मेगावाट) (प्रस्तावित)।

(झ) वर्तमान स्थिति:

1. मैसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) से दिनांक 12.11.2016 को जीआर प्राप्त हुआ था।
2. भूमि अधिग्रहण को सीबी अधिनियम (ए एंड डी) के तहत अधिसूचित किया गया है। कोई पट्टा आवेदन अपेक्षित नहीं है।
3. एमओईएफ एंड सीसी द्वारा चरण-I वन मंजूरी दिनांक 03.07.2018 को दी गई।
4. वन मंजूरी चरण-II दिनांक 28.03.19 को प्राप्त हुई।

5. टीओआर दिनांक 23.05.2007 को अनुमोदित किए गए । एमओईएफ एंड सीसी ने पर्यावरण मंजूरी दिनांक 11.10.18 को दी।
6. अडानी के मैसर्स तालाबीरा (ओडिशा) माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड (टीओएमपीएल) को एमडीओ अवार्ड दिया गया।
7. कोयला उत्पादन अप्रैल, 2020 में शुरू हुआ।

3. पचवाड़ा-दक्षिण कोयला ब्लॉक

(क) आवंटन: एनएलसी इंडिया लिमिटेड।

(ख) स्थान: झारखंड

(ग) अधिनियम: एमएमडीआर अधिनियम

(घ) आवंटन की तिथि: 03.10.2016

(ङ) उत्पादन की समय-सूची: 2023-24 में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है।

(च) भूगर्भीय भंडार (जीआर) और खनन योजना (एमटीपीए में): जीआर-304 एमटी, ईआर - 263 एमटी, पीआरसी-11 एमटीपीए, ग्रेड-जी-10, एसआर-1:3.25, ओपनकास्ट खदान

(छ) एंड यूज़ प्लांट: नेवेली उत्तर प्रदेश द्वारा घाटमपुर टीपीएस (3x660) मेगावाट पावर लिमिटेड (एनएलसी और यूपीआरवीयूएनएल के बीच संयुक्त उद्यम)

(ज) यूनिटों के आरम्भ होने की समय-सूची: यू:1 2021 में और यू: 2 और 3 2022 में अपेक्षित।

(झ) वर्तमान स्थिति:

1. 22.10.2018 को एमडीओ के लिए करार पत्र (एलओए) (गवेषण से खनन तक) से मैसर्स एमआईपीएल जीसीएल इंफ्राकॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद को अवार्ड किया गया।
2. 07.09.2020 को एमओसी द्वारा अंतिम जीआर अनुमोदित किया गया।
3. 31.08.2020 को भारत सरकार द्वारा सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 की धारा 7(1) के तहत अधिसूचना को जारी किया गया।
4. खनन योजना और खनन समापन योजना 11.11.2020 को एमओसी द्वारा अनुमोदित की गई।
5. 05.11.2020 को एमओईएफ एंड सीसी द्वारा टीओआर प्रदान किए गए।
6. सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) अध्ययन का कार्य प्रगति पर है।

भाग-दो

समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें

1. समिति नोट करती है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा परिचालित कोयले और लिग्नाइट के लिए वार्षिक राष्ट्रीय सूची (एनुअल नेशनल इनवेंटरी) के अनुसार देश का कुल कोयला संसाधन 344.02 बिलियन टन है। देश में कोयले की उत्खनन की वर्तमान दर लगभग प्रतिवर्ष 729 मिलियन टन है, इस दर पर यह भंडार 400 से अधिक वर्षों तक चल सकता है। बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं और विभिन्न वैश्विक मंचों पर हमारे देश की प्रतिबद्धताओं के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा पर बढ़ते हुए ध्यान के कारण, यह स्पष्ट है कि हमारे अधिकांश कोयला भंडार का कभी भी उपयोग नहीं हो पाएगा। समिति यह भी पाती है कि यह एक विडंबना है कि हमारे देश में कोयले के विशाल भंडार होने के बावजूद, हम कोयले का काफी मात्रा में आयात कर रहे हैं। कुछ वर्षों में, आयातित कोयले का हिस्सा, कुल कोयला प्राप्ति का अधिकतम 16-17% रहा है। कोयले के आयात के लिए मंत्रालय द्वारा यह कारण बताए गए हैं कि आयातित कोयला बेहतर गुणवत्ता का होता है, कुछ संयंत्र आयातित कोयले के उपयोग के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं जबकि कुछ को सम्मिश्रण के उद्देश्य से इसकी आवश्यकता होती है, आदि। समिति का सुविचारित मत है कि कोयले का आयात चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाए क्योंकि हमारे पास अपनी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला भंडार हैं । समिति इस बात से भी अवगत है कि स्वदेशी कोयले की गुणवत्ता को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है और विद्युत संयंत्रों के बॉयलर के डिजाइन को संशोधित किया जा सकता है जिससे उनमें स्वदेशी कोयले का उपयोग हो सके। समिति महसूस करती है कि एक स्पष्ट नीति तैयार करने की आवश्यकता है जो कि न केवल 'आत्मनिर्भर भारत' के विचार के अनुरूप हो बल्कि देश में ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने और आम आदमी के लिए सस्ती बिजली प्रदान करने में भी सहायक हो। अत: समिति सिफारिश करती है कि विद्युत मंत्रालय और कोयला मंत्रालय इस मुद्दे पर अत्यधिक गंभीरतापूर्वक मिलकर कार्य करे और स्वदेशी कोयला भंडार के इष्टतम उपयोग के लिए ठोस प्रयास करे।

2. समिति नोट करती है कि नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में काफी वृद्धि होने और आगामी वर्षों में इसको बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडार मे शामिल किये जाने की आयोजना के बावजूद, इस दशक में भारत में विद्युत उत्पादन का मुख्य आधार कोयला ही रहेगा। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में यह आकलन किया है कि कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन की वर्तमान संस्थापित क्षमता 2,07,000 मेगावाट से बढ़कर वर्ष 2029-30 तक 2,67,000 मेगावाट हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान दशक के दौरान विद्युत क्षेत्र में कोयले की मांग में तेजी आएगी। समिति इस बात से भी अवगत है कि वर्तमान में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र अपनी आधी क्षमता पर ही कार्य कर रहे हैं। तथापि, भविष्य में उनके प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) में वृद्धि की जा सकती है, जिससे उनकी कोयले की आवश्यकता बढ़ सकती है। इसके अलावा, समिति का मत है कि उन्नत प्रौद्योगिकियों यथा अल्ट्रा सुपर-क्रिटिकल और कार्बन कैप्चर के अत्यधिक उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत से होने वाले उत्सर्जन को काफी कम किया जा सकता है जिससे जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने से संबंधित लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयासों से समझौता किए बिना कोयला आधारित ताप विद्युत का इष्टतम उपयोग होगा। अत: समिति सिफारिश करती है कि विद्युत मंत्रालय इस दिशा में ठोस प्रयास करे और समिति को इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के तीन माह के भीतर मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

3. समिति नोट करती है कि विभिन्न अधिनियमों के तहत विद्युत क्षेत्र को कुल 65 कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। 65 कोयला ब्लॉकों में से, 9,028 मिलियन टन के भूगर्भीय भंडार और प्रतिवर्ष 152 मिलियन टन की पीक रेटेड क्षमता वाले 16 ब्लॉकों को केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों को आवंटित कर दिया गया है। आवंटित कोयला ब्लॉकों का पीएसयू-वार ब्यौरा इस प्रकार है; एनटीपीसी को 10, डीवीसी को 2, टीएचडीसी को 1 और एनएलसी को 3 । तथापि, केंद्रीय क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों को आवंटित इन 16 कोयला ब्लॉकों में से केवल 5 ही अब तक उत्पादन के चरण में पहुंचे हैं। 3 कोयला ब्लॉकों के लिए पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृतियां मिल चुकी हैं लेकिन उत्पादन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। शेष 8 कोयला ब्लॉकों को या तो पर्यावरण संबंधी स्वीकृति अथवा वन संबंधी स्वीकृति अथवा दोनों ही नहीं मिली है। समिति आगे नोट करती है कि वर्ष 2020-21 के दौरान इन निर्धारित कोयला खानों से वास्तविक उत्पादन केवल 7.76 मीट्रिक टन हुआ है। समिति को इस बात की जानकारी है कि विद्युत क्षेत्र को कोयला खानों के आवंटन का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों के लिए कोयले की कमी को दूर करना था, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड अकेले इस मांग को पूरी तरह से पूरा नहीं

कर पा रही थी। तथापि, समिति पाती कि हालांकि, केंद्रीय क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों को कोयला ब्लॉकों का विशेष रूप से आवंटन किए जाने के कई वर्षों बीत जाने के बावजूद इससे संबंधित काम की गति बेहद धीमी है, क्योंकि कोयले के उत्खनन हेतु अधिकांश कोयला ब्लॉक अभी तक विकसित नहीं किए गए हैं । मंत्रालय द्वारा बताए गए उत्तरदायी कारणों में पर्यावरण संबंधी स्वीकृति और वन संबंधी स्वीकृति प्राप्त करने में औसत से अधिक लगने वाला समय, भूमि अधिग्रहण में विलंब, भूमि अभिलेखों की अनुपलब्धता, कानून-व्यवस्था की समस्या आदि हैं। समिति इस बात को मानती है कि कोयला ब्लॉक के विकास के लिए, आवंटितियों को अन्य प्राधिकरणों/एजेंसियों से जुड़े कई मुद्दों से निपटना पड़ता है। बहरहाल, समिति का विचार है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोयला ब्लॉकों के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से उन आवंटितियों का है जो इसके लिए उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए जिम्मेदार हैं। वर्तमान मामले में, कोयला ब्लॉक सरकारी क्षेत्र के आवंटितियों यथा एनटीपीसी, टीएचडीसी, डीवीसी और एनएलसी से यह अपेक्षित था कि वे कोयला ब्लॉक आवंटन के समय ही एक मानक योजना तैयार करते जिससे कि आवश्यक स्वीकृतियों को प्राप्त करने में तेजी आती और अन्य औपचारिकताएं कम से कम समय में पूरी हो जाती ताकि उत्पादन शुरू हो पाता और विद्युत संयंत्रों को पर्याप्त कोयले की आपूर्ति का अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त हो गया होता। अत: समिति सिफारिश करती है कि कम से कम अब तो आवंटितियों द्वारा संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए निर्धारित समय सीमा में कोयला ब्लॉकों के शीघ्र एवं समयबद्ध विकास हेतु ठोस प्रयास किए जाएं। समिति को तीन माह के भीतर इस संबंध में की-गई-कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

4. समिति नोट करती है कि केन्द्रीय क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों को आवंटित 16 कोयला ब्लॉकों में से 8 को पर्यावरण/वन संबंधी स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। समिति को यह बताया गया है कि सांविधिक स्वीकृतियों जैसे कि पर्यावरण संबंधी स्वीकृति, वन संबंधी स्वीकृति आदि प्राप्त करने में औसतन 4 से 5 वर्ष लग गए। समिति मानती है कि इस मुद्दे का तत्काल पूरी तरह से निपटान किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि वास्तविक पर्यावरणीय चिंताओं से समझौता किए बिना इन स्वीकृतियों को प्राप्त करने में लिया गया समय काफी कम किया जा सके। अत: समिति सिफारिश करती है कि विद्युत मंत्रालय इसे अनिश्चित काल तक लटकने न दे और ऐसी स्वीकृतियों को प्राप्त करने से संबंधित मुद्दों के शीघ्र निपटान में सक्रिय भूमिका निभाए ताकि इन प्रक्रियाओं में अनावश्यक विलंब से बचा जा सके ।

5. समिति इस बात से भी अवगत है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय ने हाल ही में पर्यावरण, वन, वन्यजीव और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) की स्वीकृति प्रक्रियाओं के लिए प्रो-एक्टिव रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाई इंटरेक्टिव एंड वर्चुअस एनवायरनमेंटल सिंगल विंडो हब (परिवेश), एक सिंगल-विंडो इंटीग्रेटिड सिस्टम शुरू किया है जिसमें वे जिला/केंद्रीय एजेंसी स्तर पर विलंब का पता लगा पाएंगे। समिति इस बहुप्रतीक्षित पहल की सराहना करती है और आशा करती है कि इस तरह की पहल से समय पर स्वीकृति देने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। विद्युत मंत्रालय अपनी सभी पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ प्राप्त करने के लिए इस हब का लाभ उठाए।

6. समिति नोट करती है कि विद्युत मंत्रालय के तहत केंद्रीय क्षेत्र के सरकारी उद्यमों (सीपीएसई) यानी एनटीपीसी, दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को आवंटित खानों की समीक्षा सचिव (विद्युत) द्वारा आयोजित तिमाही निष्पादन समीक्षा (क्यूपीआर) बैठकों के दौरान की जाती है। इसके अतिरिक्त, विद्युत क्षेत्र को आवंटित कोयला ब्लॉकों के विकास की समीक्षा हेतु दिनांक 15.03.2019, 07.10.2020, 27.11.2020 और 17.12.2020 को विद्युत मंत्रालय में समीक्षा बैठकें भी आयोजित की गईं । कोयला ब्लॉकों के विकास के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा वार्षिक समीक्षा बैठकें भी की जाती हैं। समिति नोट करती है कि विद्युत मंत्रालय केन्द्रीय क्षेत्र के सरकारी उद्यमों को आवंटित खानों की स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा कर रहा है। हालांकि, यह चिंताजनक है कि इन सभी समीक्षा बैठकों के बावजूद, आवंटित कोयला ब्लॉकों के विकास की गति धीमी है। निस्संदेह यह एक तथ्य है कि कोयला ब्लॉकों का विकास एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई एजेंसियां/प्राधिकरण शामिल हैं । चूंकि इसमें स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार और अन्य मंत्रालय/विभाग भी शामिल हैं, इसलिए समिति का मत है कि केवल केंद्रीय क्षेत्र के सरकारी उद्यम इस मुद्दे का निवारण नहीं कर सकते हैं। अत: यह आवश्यक है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और विद्युत मंत्रालय इन केंद्रीय क्षेत्र के सरकारी उद्यमों को हर संभव सहायता प्रदान करे और संबंधित राज्य सरकारों/स्थानीय प्राधिकरणों के साथ समन्वय करे जिससे अनावश्यक प्रक्रियाओं या लालफीताशाही से बचा जा सके और मुद्दों का निवारण करते हुए कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाई जा सके ।

7. समिति पाती है कि केन्द्रीय क्षेत्र के सरकारी उपक्रम और अन्य विद्युत क्षेत्र की इकाइयों को कोयला की आवश्यकता को पूरा करने और कोल इंडिया लिमिटेड पर कोयले की आपूर्ति के दबाव को कम करने के लिए कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए थे। समिति यह भी पाती है कि इन विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को कोयला खनन के क्षेत्र में कोई पिछला अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इन कोयला ब्लॉकों के लिए आवेदन किया, क्योंकि कोयले की कमी थी। चूंकि कोयला ब्लॉकों का विकास और खनन एक जटिल मामला है जिसके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता है जो कि केन्द्रीय क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों के पास पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, इसलिए समिति आग्रह करती है कि कोयला मंत्रालय उन केन्द्रीय क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों को पूरी सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाए जिन्हें कोयला खानों का आवंटन हुआ है और वे उनका विकास और उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। समिति चाहती है कि विद्युत मंत्रालय और कोयला मंत्रालय दोनों इस मामले में साथ मिलकर काम करें और संयुक्त रूप से एक कार्यनीति तैयार करें और एक विशेष तंत्र अथवा विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) विकसित करें जो केन्द्रीय क्षेत्र के सरकारी उपक्रम प्रत्येक ऐसे सीपीएसयू के दायरे में हो जो इन निर्धारित कोयला ब्लॉकों का विकास और उपयोग नहीं कर पाए हैं ।

नई दिल्ली;
4 अगस्त, 2021
13 श्रावण, 1943 (शक)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,
सभापति,
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति।

अनुबंध एक

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की दिनांक 15 जनवरी, 2021 को समिति कक्ष `बी`, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1500 बजे से 1635 बजे तक हुई ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह — **सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री किशन कपूर
3. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
4. श्री प्रवीन कुमार निषाद
5. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
6. श्री जय प्रकाश
7. श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़
8. श्री उत्तम कुमार रेड्डी
9. श्री एस.सी. उदासी

राज्य सभा

10. श्री टी.के.एस. इलेंगोवन
11. श्री मुजीबुल्ला खान
12. श्री महाराजा संजाओबा लेशंबा
13. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

सचिवालय

1. श्री आर.सी. तिवारी — **संयुक्त सचिव**
2. श्री सुंदर प्रसाद दास — **निदेशक**
3. श्रीमती एल.एन. हॉकिप — **उप सचिव**

साक्षियों की सूची

विद्युत मंत्रालय

1. श्री संजीव नंदन सहाय सचिव
2. श्री विवेक कुमार देवांगन अपर सचिव

3.	श्री महिपाल सिंह	मुख्य अभियंता, सीईए
4.	श्री पार्थ मजूमदार	कार्यकारी निदेशक, एनटीपीसी
5.	श्री सीतल कुमार	कार्यकारी निदेशक, एनटीपीसी
6.	श्री समीर हक खान	कार्यकारी निदेशक, डीवीसी
7.	श्री डी.वी. सिंह	सीएमडी, टीएचडीसी
8.	श्री राकेश कुमार	सीएमडी, एनएलसी

2. सर्वप्रथम सभापति ने सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची के बारे मे संक्षिप्त जानकारी दी।

*** *** *** *** *** *** ***

3. इसके बाद, सभापति ने समिति की बैठक में विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उन्हें कार्यसूची से अवगत कराया और अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 55 (1) के उपबंधों की ओर अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया।

4. विद्युत मंत्रालय के सचिव ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत क्षेत्र की कंपनियों को आवंटित कोयला ब्लॉकों की स्थिति और विद्युत क्षेत्र की इन कंपनियों द्वारा कोयला ब्लॉकों के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया। इसके बाद समिति के सदस्यों ने अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया:

(i) विद्युत क्षेत्र की कंपनियों को कोयला ब्लॉकों के आवंटन की पृष्ठभूमि – विभिन्न उपबंधों/संविधियों के अंतर्गत आबंटित कोयला ब्लॉकों की संख्या और आवंटन के कारण तथा कुछ कोयला ब्लॉकों को वापस लौटाए जाने के कारण।

(ii) विद्युत क्षेत्र की कंपनियों को आवंटित कोयला ब्लॉकों का विकास – कोयले का कुल भंडार और कोयला ब्लॉकों की वार्षिक पीक रेटेड क्षमता, कोयला ब्लॉकों के विकास की प्रक्रिया, आवंटित कोयला ब्लॉकों के विकास का वर्तमान चरण।

(iii) आवंटित कोयला ब्लॉकों के विकास में देरी – देरी के कारण, समय पर विकास सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र, संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय।

(iv) आवंटित कोयला ब्लॉकों के विकास से संबंधित मुद्दे – भूमि अधिग्रहण, भू-अभिलेखों का न होना, पर्यावरण और वन स्वीकृतियां, स्थानीय मुद्दे आदि, आवंटी कंपनियों/मंत्रालय द्वारा उठाए गए उपचारात्मक कदम।

(v) विद्युत क्षेत्र के लिए कोयला – कोयले की मांग और आपूर्ति, घरेलू कोयले की आपूर्ति पर कोविड -19 महामारी का प्रभाव, कोयले के आयात की मात्रा और कारण, आयातित कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए उठाए गए कदम।

(vi) कोयला ब्लॉकों के शीघ्र विकास की आवश्यकता – नवीकरणीय क्षेत्र में वृहत उत्पादन क्षमता वृद्धि के बावजूद कोयला आधारित उत्पादन कम से कम वर्तमान दशक के दौरान मुख्य आधार बना रहेगा, देश के अधिकांश कोयला भंडारों का उपयोग नहीं होगा, जिससे सभी के लिए सस्ती बिजली सुनिश्चित होगी।

5. सदस्यों ने इस विषय से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण भी मांगा और मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने कुछेक प्रश्नों के उत्तर दिए। समिति ने मंत्रालय के प्रतिनिधियों को निदेश दिया कि वे उन प्रश्नों जिनका उत्तर नहीं दिया जा सका, के

लिखित उत्तर 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाएँ। समिति ने यह भी कहा कि चर्चा के दौरान उठाए गए प्रश्नों के बारे में जानकारी/उत्तर मंत्री द्वारा निश्चित रूप से समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत किए जाएं।

6. समिति की बैठक की कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

*** इस प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है।

अनुबंध दो

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की 04 अगस्त, 2021 को कमरा सं. '111', संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली में हुई 12वीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1500 बजे से 1530 बजे तक हुई।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह — **सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री गुरजीत सिंह औजला
3. श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर
4. श्री हरीश द्विवेदी
5. श्री एस. ज्ञानतिरावियम
6. श्री संजय हरिभाऊ जाधव
7. श्री किशन कपूर
8. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
9. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
10. श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़
11. श्री उत्तम कुमार रेड्डी
12. श्री एस.सी. उदासी
13. श्री पी. वेलुसामी

राज्य सभा

14. श्री मुजीबुल्ला खान
15. श्री महाराजा संजाओबा लेशंबा
16. श्री जुगलसिंह माथुरजी लोखंडवाला
17. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
18. श्री के.टी.एस. तुलसी

सचिवालय

1. श्री आर.सी. तिवारी — **संयुक्त सचिव**
2. श्री आर.के. सूर्यनारायणन — **निदेशक**
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा — **अपर निदेशक**

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें उस दिन की कार्यसूची से अवगत कराया। तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों को उन पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने हेतु लिया:-

(एक) विद्युत क्षेत्र की कंपनियों को आबंटित कोयला ब्लॉकों का विकास।

(दो) विद्युत क्षेत्र की कंपनियों द्वारा विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन/पूर्णता में विलंब।

(तीन) भारत में ज्वारीय ऊर्जा का विकास।

3. प्रतिवेदन की विषयवस्तु पर चर्चा करने के पश्चात्, समिति ने उपर्युक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया। समिति ने उपर्युक्त प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उन्हें चालू मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने हेतु सभापति महोदय को प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।